आजादी की पूर्व संध्या पर, संविधान सभा ने भारत में आदिवासी समुदाय को पेश आ रही चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की थी।
परिणमस्वरूप, भारत के संविधान 1950 ने अपनी प्रस्तावना में तथा अनेकों अनुच्छेदों में जैसे अनुच्छेद 46, 15(4), 15(5), 16(4), 16(4 I), 16(4ठ), 27(1) में पहली शर्त तथा 164 (1) शर्त, अध्याय XVI में अनुच्छेद एवं अन्य अनुच्छेदों तथा पांचवी एवं छठवीं अनुसूची में, अपने सभी संसाधनों और एजेंसियों के द्वारा सामाजिक समानता के विभिन्न उपायों जिनमें शिक्षा, आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक न्याय शामिल हैं के द्वारा सामाजिक समानता पैदा करके आदिवासी जातियों के अभाव के कष्ट और नुकसान को दूर करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने और देश में चौतरफा समानता की शासन व्यवस्था स्थापित करना है।

VIKAS SAHYOG KENDRA

विकास सहयोग केंद्र
विवेकानंद चौक, पनेरी बांध रोड
शाहपुर, चैनपुर,
जिला पलामू, झारखण्ड
पिन: 822110
मो. 06586251120
e mail- vskjh@yahoo.in

actionaid

EUROPEAN UNION

Printed By : Suprabhat Udyam, Daltonganj 9431135032

आदिवासी छात्रवृत्ति योजना

ADIVASI CHHATRAVRITI YOJNA
BY SUNIL MINJ

द्वितीय संस्करण 2016

प्रकाशक

विकास सहयोग केन्द्र
पनेरी बांध रोड, शाहपुर, पलामू झारखण्ड
पिनः 822101
दूरभाष : 06586 251120
email: vskjh@yahoo.in

टाईप सेटिंग
प्रभाकर मिंज, ज्योति लकड़ा
प्रुफ रीडिंग
राकेश रोशन किड़ो, ज्योति लकड़ा

मुद्रणः सुप्रभात उद्यम, डालटनगंज

संपादनः सुनीज मिंज
डिजाइनः दीपक बाड़ा

झारखण्ड में आदिवासी छात्रवृत्ति योजनाएं

आदिवासी उपयोजना पर प्रारूप बिल मानता है कि अनुसूचित जनजाति के समुदायों ने अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिस सामाजिक नुकसान का अनुभव किया और ऐतिहासिक अन्याय के कारण उन्हें क्रमबद्ध रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा राजनैतिक दृष्टि से दरकिनार करने की स्थिति का सामना करना पड़ा है, इसी के परिणामस्वरूप, वे सामजिक रूप से बहिष्कृत, भेदभाव तथा अपनी आजीविका के संसाधनों जैसे भूमि, पानी तथा वन से वंचित हैं। आदिवासी समुदाय के अंदर आदिम जनजातीय, खानाबदोश, तथा गैरअधिसूचित जनजातियां अधिक संकट में हैं क्योंकि आदिवासी समुदाय सभी प्रमुख मानव विकास सूचकों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, रोजगार इत्यादि में अन्य सामजिक समूहों से काफी पीछे है।

आजादी की पूर्व संध्या पर, संविधान सभा ने भारत में आदिवासी समुदाय को पेश आ रही चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की थी। परिणामस्वरूप, भारत के संविधान 1950 ने अपनी प्रस्तावना में तथा अनेकों अनुच्छेदों में जैसे अनुच्छेद 46, (15)4, 15(5), 16(4), 16(4A), 16(4B), 27(1) में पहली शर्त तथा 164 (1) शर्त, अध्याय XVI में अनुच्छेद एवं अन्य अनुच्छेदों तथा पांचवी एवं छठवीं अनुसूची में, अपने सभी संसाधनों और एजेंसियों के द्वारा सामाजिक समानता के विभिन्न उपायों जिनमें शिक्षा, आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक न्याय शामिल है के द्वारा सामाजिक समानता पैदा करके आदिवासी जातियों के अभाव के कष्ट और नुकसान को दूर करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने और देश में चौतरफा समानता की शासन व्यवस्था स्थापित करना है ।

लेकिन पिछले चौंसठ सालों के नियोजित विकास में वित्तीय परिव्यय और साधन मात्रात्मक और गुणात्मक रूप में आदिवासी के लिए प्रवाहित नहीं हुए, और इसलिए भारत सरकार ने कल्पना की तथा 1974 में व्यापक योजना साधनों के रूप में जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) की केन्द्र के साथ–साथ राज्यों में शुरूआत की तथा सभी राज्यों ने उन्हें स्वीकार किया। यद्यपि जनजातीय–उपयोजना ने कुछ सुधार लाने में मदद की, लेकिन संविधान पर आधारित आर्थिक आजादी के लक्ष्य, सभी स्तरों पर शैक्षणिक समानता, सभी पैरामीटर में समानता और सुरक्षा तथा गरिमा को नजरंदाज करके उसे केवल अंकगणितीय और सांख्यिकीय अभ्यास के लिए बड़े पैमाने पर घटा दिया गया। अनुसूचित जनजाति के मामले में आदिवासी संस्कृति, आदिवासी पहचान, तथा आदिवासी स्वायत्तता का संरक्षण तथा अनुसूचित जनजातियों के मूल आदिवासी भूमि की बहाली, जो अभी भी अन्य किसी के अधिकार या कब्जे में, तथा आदिवासी क्षेत्रों में आम संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों के लिए परंपरागत पहुंच की बहाली तथा सुरक्षा जटिल मुद्दा है । लेकिन जनजातीय उपयोजना के तहत कार्यान्वित कार्यक्रम और योजनाएं इतनी सक्षम नहीं है और वे संपूर्ण जनजातीय समुदाय द्वारा सामना की गयी समस्याओं को हल करने में विफल रही।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग के दृष्टिकोण में स्पष्ट पहचान को ध्यान में रखते हुए कि टीएसपी के कार्यान्ववयन में केंद और राज्यों दोनो की तरफ से कमी रही है। और इस लिए बारहवीं योजना के लिए नयी प्रणाली की कौशिश करनी चाहिए। जो विगत में अनुभव की गयी कठिनाइयों को दूर कर सकती हो तथा सुनिश्चित करें कि एससीपी और टीएसपी को अक्षरशः कार्यान्वित किया गया है ।

यह जनजातीय उप योजना तथा अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण (वित्तीय संसाधनों की योजना, आवंटन और उपयोग) प्रारूप बिल अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास, सुरक्षा तथा सामाजिक गरिमा के सभी पैरामीटर में योजना के लिए विधायी रूपरेखा निर्धारित करता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए साम्यता को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ अनुसूचित जनजाति की जरूरतों और वरीयताओं के अनुसार मंजूर फंड जारी करने के लिए तथा राष्ट्रीय , राज्य तथा जिला स्तरों पर एसटी विकास प्राधिकरण स्थापित करने के लिए, उनके कार्य कर्तव्य और दिशानिर्देश, योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए पात्रता का मापदंड, योजना बनाने तथा कार्यान्वयन में एसटी समुदाय की प्रतिभागिता के लिए प्रणालियां, तथा जवाबदेही और पारदर्शिता के ऊपर तथा लापरवाही के लिए जुर्माने का प्रावधान करने के लिए भारत सरकार में तथा प्रत्येक राज्य में सशक्त प्राधिकरण के निपटान के लिए लाएं।

स्कूली शिक्षा में आदिवासी छात्रों की स्थिति–

स्कूली शिक्षा में आदिवासी छात्रों की स्थिति बेहद चिंताजनक है । पूरे देश में आदिवासी बच्चों के स्कूल से छीजन की दर दूसरे समुदाय की तुलना मे बहुत अधिक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2009–10 का सर्वे बताता है कक्षा–1 से लेकर कक्षा–5 तक में 35.19 प्रतिशत लड़के और 33.72 प्रतिशत लडकियों का छीजन जो जाता है। कक्षा–5 से लेकर कक्षा–8 तक 55.15 प्रतिशत लडकों का छीजन हो जाता है जबकि लडकियों का प्रतिशत 60.64 है । उच्च विद्यालयों यानी कक्षा–8 से लेकर कक्षा–10 तक में 74.71 प्रतिशत लड़के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते है । लड़कियों में यह संख्या 75.85 प्रतिशत है। हाइयर सेकेंडरी एक्जाम–2009 का परीक्षाफल बताता है कि केवल 27.08 प्रतिशत आदिवासी छात्रों ने 60 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किये जबकि 35.72 प्रतिशत छात्रों ने 50 प्रतिशत से कम अंक हासिल किया। पढ़ाई में अच्छे परिणाम नहीं आने के कई वजह हो सकते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण वजह हो सकता है – पढ़ाई में भेद–भाव। 2010–11 के सर्वे बताते हैं कि आदिवासी शिक्षकों की संख्या 9.35 प्रतिशत और दलित शिक्षकों की संख्या 12.76 प्रतिशत है।

आदिवासी विद्यालयों के लिए शिक्षा में प्रात्साहन के लिए छात्रवृति देने का प्रावधान है । हजारों ऐसे विद्यार्थी है जिन्हें शिक्षकों की लापरवाही की वजह से छात्रवृति नहीं मिल पाती है । जबकि छात्रवृति मद में जो पैसे मिलते भी हैं, वह काफी कम होता है। कक्षा–3 से लेकर कक्षा–8 तक के ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो छात्रावास में रहते हैं प्रतिमाह 300 रूपये 10 माह के लिए दिये जाने का प्रावधान है । कक्षा–9 से कक्षा–10 तक के छात्रवास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए 375 रूपये प्रतिमाह 10 महीने के लिए देने का प्रावधान है । जो विद्यार्थी छात्रावास में नहीं रहते है उन्हे छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की अपेक्षा कम राशि मिलती है कक्षा–3 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 40 रू. प्रतिमाह, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 60 रू. प्रतिमाह और कक्षा 9 से लेकर कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए 75 रू. प्रति महीने 10 महीने तक दिये जाने का प्रावधान है ।

उच्च शिक्षा में आदिवासी छात्रों की यही स्थिति है। एक तो केंद्र सरकार ने 2013–14 के बजट में आदिवासी समुदायों के विकास के लिए 24,594.95 करोड रू. ही प्रदान किया है जो कायदे से 3:1 है । यानी इस वित्तीय वर्ष में लगभग 9.000 करोड़ रूपये कम अनुदान मिला। इसी वित्तीय वर्ष में एससीएसपी मद के लिए 41561.13 करोड रूपये आवंटित किया गया जो कायदे से कम है। दलितों की जनसंख्या का प्रतिशत 16.2 है लेकिन उन्हें सिर्फ 9 ही आवंटन मिला। इस हिसाब से उनहें 26000 करोड़ कम रू. मिले। दोनों की राशि को मिला दिया जाए तो कुछ 35000 करोड़ की राशि पहुंच जाती है। इन राशि से भी छात्रवृति के रूप में आदिवासी को 1.70 रू. ही मिल पाता है इस पैसे का उपयोग विश्व विद्यालयों की बिल्डिंग बनाने और सामान्य खर्च में किया जा रहा है टीएसपी का 51.59 प्रतिशत पैसे का इस्तेमाल विश्व विद्यालय के लिए बिल्डिंग बनाने के रूप किया जाता है । वहीं दूसरी ओर टीएसपी का 46.65 प्रतिशत राशि विद्यालय के सामान्य खर्च के रूप में की जाती है इसे भी बजट का विचलन ही माना जा सकता है । क्योंकि ये बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किये जा रहे हैं। और ऐसी भी बात नहीं है कि उन विश्व विद्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक संख्या आदिवासी–दलित छात्रों की है।

आदिवासियों के लिए केंद्र और झारखण्ड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं

क्र. सं.	मंत्रालय एवं विभाग	आदिवासियों के लिए योजनाएं	योजना विवरण	आवेदन किस प्रकार और कहां करें
1.	आदिवासी कल्याण विभाग	जनजातीय कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृति	झारखण्ड राज्य के वैसे जनजातीय छात्र छात्राओं को जो राज्य के बाहर मेडिकल तथा इंजीनियरिंग संस्थाओं में अध्ययनरत है उन्हे उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में नामांकन तथा अध्ययन हेतु आर्थिक मदद दिए जाने के उद्देश्य से बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृति योजना के अंतर्गत जनजातीय छात्र–छात्राओं को शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं विश्व विद्यालय को दी जाने वाले अनिवार्य शुल्क दी जाती है।	आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखण्ड सरकार, रांची स्कूल एवं कालेज के प्रधानाध्यापक, जिला कल्याण विभाग।
2	आदिवासी कल्याण विभाग	जनजातीय कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी विद्यालयों में कंप्यूटर अधिष्ठापन	झारखण्ड राज्य में 87 जनजातीय विद्यालय संचालित है, जिनमें अध्ययनरत जनजातीय छात्र–छात्राओं को कंप्यूटर से शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है।	आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखण्ड सरकार रांची स्कूल एवं कालेज के प्रधानाध्यापक, जिला कल्याण विभाग

क्र. सं.	मंत्रालय एवं विभाग	आदिवासियों के लिए योजनाएं	योजना विवरण	आवेदन किस प्रकार और कहां करें
2	आदिवासी कल्याण विभाग	जनजातीय कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पुस्तक अधिवेशन	झारखण्ड राज्य के जनजातीय छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में पुस्तक अधिकोश स्थापित किए जाने की योजना है। अनुसूचित जनजाति के इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एग्रीकल्चर, वेटनरी महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं के लिए दो छात्रों पर एक सेट पुस्तक निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है।	जिला कल्याण पदाधिकारी
4.	आदिवासी कल्याण विभाग	जनजातीय कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं को साइकिल आपूर्ति	कल्याण विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा अष्टम, नवम् एवं दशम वर्ग के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल, सुदुरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राएं जो मिडिल उत्तीर्ण होने के बाद ग्रामीण छात्राएं आवागमन के साधन के अभाव में विद्यालय जाना छोड़ देती हैं। उन्हे विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साईकिल वितरण की योजना है।	स्कूल के प्राचार्य प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधि
5.	ाकारी। आदिवासी कल्याण विभाग	जनजातीय कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति छात्राओं को पोशाक आपूर्ति	इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय आत्राओं को निःशुल्क पोशाक प्रदान करना है। यह योजना सिर्फ सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए है।	जिला कल्याण पदाधिकारी, स्कूल के प्राचार्य
6.	आदिवासी कल्याण विभाग	जनजातीय कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रावास निर्माण	आवासीय समस्याओं के समाधान की दृष्टी हेतु झारखण्ड सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में अनुसुचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की योजना तैयार की है।	आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखण्ड सरकार, राँची कल्याण विभाग, जिला कल्याण पदाधिकारी
7.	आदिवासी कल्याण विभाग	जनजातीय कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पहाड़िया विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना	सौरिया पहाडिया तथा पहाडिया जनजाति के विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करने के लिए दुमका, गोड्डा, साहेबगंज तथा पाकुड जिलों में पहाडिया दिवाकालीन विद्यालय चलाये जाने का प्रावधान है।	आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखण्ड सरकार, राँची कल्याण विभाग, जिला कल्याण पदाधिकारी

क्र. सं.	मंत्रालय एवं विभाग	आदिवासियों के लिए योजनाएं	योजना विवरण	आवेदन किस प्रकार और कहां करें।
8.	आदिवासी कल्याण विभाग	जनजातीय कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पहाड़िया स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन	झारखण्ड सरकार द्वारा सौरिया तथा माल पहाड़िया जनजाति के सदस्यों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए पहाड़िया स्वास्थ्य योजना लागू की गयी है। पहाड़िया स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से पहाड़िया जनजाति को ग्रामीण धाय, ए.एन.एम. की सेवा प्रदान की जाती है। सप्ताह में एक बार सरकारी डॉक्टर द्वारा बीमार पहाड़िया जनजातियों की चिकित्सा एवं जांच करने का प्रावधान है। पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने का प्रावधान है।	आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखण्ड सरकार रांची, कल्याण विभाग जिला कल्याण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग झारखण्ड रांची
9.	आदिवासी कल्याण विभाग	जनजातीय कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पहाड़िया व्यवसायिक केन्द्र	सौरिया तथा माल पहाडिया जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कल्याण विभाग द्वारा रांची में विभिन्न प्रशिक्षण जैसे–सुअर पालन, बढ़ईगिरी, बिजली मिस्त्री, दर्जीगिरी, राजमिस्त्री इत्यादि का निःशुल्क प्रशिक्षण देने का प्रावधान है।	आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखण्ड सरकार रांची, कल्याण विभाग झारखण्ड जिला कल्याण पदाधिकारी,
10.	कल्याण विभाग	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना	अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृति का प्रावधान है।	कॉलेज, जिला कल्याण पदाधिकारी,
11.	कल्याण विभाग	प्री मैट्रिक छात्रवृति योजना	अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृति का प्रावधान है। इसमें कक्षा 1 से 10 तक सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृति देने का प्रावधान है।	स्कूल, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी,
12.	शिक्षा विभाग	कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय	यह अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के लिए है, जो पांचवी कक्षा छोड़ चुके छात्राओं के लिए छः से इंटर तक की शिक्षा प्रदान करती है।	कस्तूरबा गांधी के प्राचार्य, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी,

राज्य की जनता को
नियत समय–सीमा में सेवाएं
उपलब्ध कराने हेतु और उससे सम्बन्धित
एवं आनुषांगिक मामलों का उपबन्ध
करने के लिए यह एक अधिनियम है।

विकास सहयोग केंद्र
विवेकानंद चौक, पनेरी बांध रोड
शाहपुर, चैनपुर,
जिला पलामू, झारखण्ड
पिन: 822110
मो. 06586251120
e mail- vskjh@yahoo.in

actionaid

EUROPEAN UNION

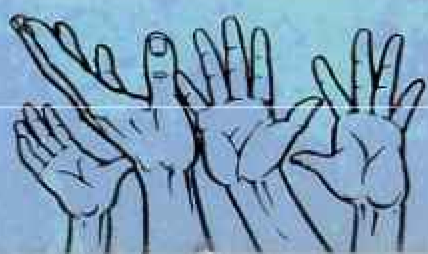

Printed By : Suprabhat Udyam, Daltonganj, 9431135032

झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011

हमारा पैसा, हमारा हिसाब

JHARKHAND RAJYA SEVA DENE KI GUARANTEE ADHINIYAM 2011

BY SUNIL MINJ

द्वितीय संस्करण 2016

प्रकाशक

विकास सहयोग केन्द्र
पनेरी बांध रोड, शाहपुर, पलामू, झारखण्ड
पिन: 822110
दूरभाष : 06568 251120
email: vskjh@yahoo.in

टाईप सेटिंग
प्रभाकर मिंज, ज्योति लकड़ा
प्रूफ रीडिंग
राकेश रोशन किड़ो, ज्योति लकड़ा

मुद्रण: सुप्रभात उद्यम, डालटनगंज

संपादन: सुनीज मिंज
डिजाइन: दीपक बाड़ा

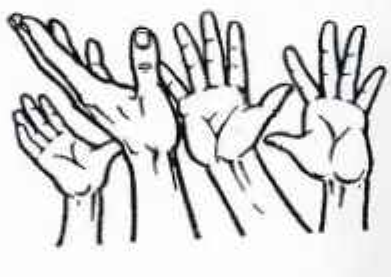

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011

(झारखण्ड अधिनियम 20, 2011)

राज्य की जनता को नियत समय–सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु और उससे सम्बन्धित एवं आनुषांगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए एक अधिनियम।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** –
   (1) यह अधिनियम "झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011" कहा जा सकेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (3) यह ऐसी तिथि से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं**– इस अधिनियम में, यदि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –
   (क) "नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस रुप में अधिसूचित कोई प्राधिकार और इनमें स्थानीय स्वायत्त शासन का कोई शामिल है।
   (ख) "पात्र व्यक्ति" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति जो अधिसूचित सेवा के लिए पात्र हों।
   (ग) "प्रथम अपीलीय पदाधिकारी" से अभिप्रेत है कोई प्राधिकार जो धारा 3 के अधीन इस रुप में अधिसूचित किया जाये और इसमें स्थानीय स्वायत्त शासन का कोई शामिल है ।
   (घ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली द्वारा विहित;
   (ङ) "सेवा का अधिकार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा,
   (च) "द्वितीय अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है कोई प्राधिकार जो धारा 3 के अधीन इस रुप में अधिसूचित किया गया और इसमें स्थानीय स्वायत्त शासन का कोई शामिल है।
   (छ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, झारखंड सरकार,
   (ज) "नियत समय–सीमा" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन अधिसूचित नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा सेवा उपलब्ध कराने या प्रथम अपीलीय पदाधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने हेतु अधिकतम समय।

3. **नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार तथा नियत समय–सीमा की अधिसूचना**– राज्य सरकार, समय–समय पर सेवाओं, नामनिर्दिष्ट पदाधिकारियों प्रथम अपीलीय पदाधिकारियों, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा नियत समय–सीमाओं राज्य का क्षेत्र जहां यह अधिनियम लागू होगा को अधिसूचित करेगी।

4. **नियत समय–सीमा में सेवा प्राप्त करने का अधिकार**– नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी, नियत समय–सीमा में, सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा उपलब्ध करायेगा।

5. **नियत समय–सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना–**

(1) अधिनियम के अधीन अधिसूचित सेवाओं के लिए समर्पित किए गए किसी आवेदन को अधिनियम के अधीन आवेदन माना जायेगा। नियत समय–सीमा, यदि धारा 3 के अधीन अधिसूचना में अन्यथा स्पष्ट नहीं किया हुआ है, तो उस तिथि से प्रारम्भ होगी जब अधिसूचित सेवा के लिए अपेक्षित आवेदन नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी को या उसके अधीनस्थ आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को समर्पित किया जाये। ऐसे आवेदन की सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति दी जायेगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी नियत समय–सीमा में सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन अस्वीकृत करेगा और आवेदन की अस्वीकृति की दशा में कारणों को लेखन द्वारा अभिलिखित करेगा और आवेदक को सूचित करेगा।

6. **अपील–**

(1) कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत किया जाता है या जिसे नियत समय–सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं की जाती है, आवेदन की अस्वीकृति की तिथि या नियत समय–सीमा की समाप्ति के तीस दिनों के अन्दर प्रथम अपील पदाधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु यह कि प्रथम अपीलीय पदाधिकारी तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि वह सन्तुष्ट हो कि अपीलकर्त्ता को समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

(2) प्रथम अपीलीय पदाधिकारी नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी का विनिर्दिष्ट अवधि में सेवा उपलब्ध करने के लिए आदेश दे सकेगा या अपील नामंजूर कर सकेगा।

(3) प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील विनिश्चय किये जाने की तिथि से साठ दिनों के अन्दर, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष होगी।

परन्तु यह कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकार साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि वह सन्तुष्ट हो कि अपीलकर्त्ता को समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

(4) (क) द्वितीय अपीलीय प्राधिकार नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी का ऐसी अवधि के अन्दर सेवा उपलब्धता करने का आदेश दे सकेगा जैसा वह विनिर्दिष्ट करे या अपील नामंजूर कर सकेगा।

(ख) सेवा उपलब्ध करने के आदेश के साथ, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार दंड अधिरोपित कर सकेगा।

(5) (क) यदि नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी धारा 5 की उपधारा (1) का अनुपालन नहीं करता है, तो ऐसे अनुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपीलीय पदाधिकारी को सीधे आवेदन समर्पित कर सकेगा। इस आवेदन का निष्पादन प्रथम अपील की रीति से किया जायेगा।

(ख) यदि नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सेवा उपलब्ध करने के आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसे अनुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को सीधे आवेदन समर्पित कर सकेगा इस आवेदन का निष्पादन द्वितीय अपील की रीति से किया जायेगा।

(6) इस धारा के अधीन किसी अपील का विनिश्चय करते समय प्रथम अपीलीय पदाधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकार का निम्नांकित मामलों में, वहीं शक्तियां होगी जो सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के समय किसी सिविल कोर्ट को होता है यथा–

(क) दस्तावेजों के प्रस्तुत करने एवं निरीक्षण का अपेक्षा करने

(ख) नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी एवं अपीलकर्त्ता को सुनवाई के लिए सम्मन जारी करने तथा

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

7. **दण्ड –**

(1) (क) जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकार की राय हो कि नामनिर्दिष्ट बिना पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों के, सेवा उपलब्ध करने में असफल रहा है तो वह कोई एकमुश्त दंड अधिरोपित कर सकेगा जो पांच सौ रूपये से कम नहीं एवं पांच हजार रूपये से अधिक नहीं होगा।

(ख) यहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकार की राय हो कि नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी ने सेवा उपलब्ध करने में विलम्ब किया है तो वह ऐसे विलम्ब के लिए दो सौ पचास रूपये प्रतिदिन की दर से नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी पर दण्ड अधिरोपित कर सकेगा जो पांच हजार रूपये से अधिक नहीं होगा।

परन्तु यह कि उस पर कोई दंड अधिरोपित किये जाने के पूर्व नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी को सुनवाई की युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(2) यहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकार की राय हो कि प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, बिना किसी पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणो के, नियत समय–सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है, तो वह प्रथम अपीलीय पदाधिकारी पर कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा जो पांच सौ रूपये से कम नहीं तथा पांच हजार से अधिक नहीं होगा।

परन्तु यह कि उस पर कोई दंड अधिरोपित किये जाने के पूर्व प्रथम अपीलीय पदाधिकारी को सुनवाई की युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(3) द्वितीय अपीलीय प्राधिकार यथास्थिति उपधारा (1) या (2) या दोनों, के अधीन अधिरोपित दंड मे से अपीलकर्त्ता का ऐसी राशि क्षतिपूर्त्ति के रूप देने का आदेश दे सकेगा, जो अधिरोपित दंड से अधिक नहीं होगा।

(4) यदि द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सन्तुष्ट हो कि नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी या प्रथम अपीलीय पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में, बिना किसी पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों के, असफल रहा हो, तो वह उसके विरूद्ध, उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन, अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा कर सकेगा।

(5) अधिरोपित ऐसा दंड पूर्व से अस्तित्व वाले किसी अन्य अधिनियम, नियमावली, विनियमावली एवं अधिसूचनाओं में विहित किये गये के अतिरिक्त होगा।

8. **दंड राशि की वेतन से कटौती** – धारा 7 (1) या 7 (2) के अधीन अधिरोपित ऐसे दंड की कटौती नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी तथा प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं उनके सम्बन्धित अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन से, उनकी सेवा सम्बन्धी क्षेत्राधिकार वाले विभाग द्वारा आनुपातिक रूप से की जायेगी। संबन्धित विभाग, नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी तथा प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा धारण किये जाने वाले दंड के अनुपात के विस्तृत विवरण के प्रयोजनार्थ स्थायी अनुदेश जारी करेगा।

9. **पुनरीक्षण**– इस अधिनियम के अधीन दंड अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के किसी आदेश से व्यथित नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी या प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ऐसे आदेश की तिथि से साठ दिनों की अवधि के अन्दर, पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेगा, जो विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निष्पादन करेगा परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पदाधिकारी साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी आवेदन ग्रहण कर सकेगा यदि वह सन्तुष्ट हो कि पर्याप्त कारणों से आवेदन समय पर समर्पित नहीं किया जा सका।

10. **राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन**– राज्य सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, विहित संरचनायुक्त एवं राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन करेगी, और इसे इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृत्य सौंपेगी अथवा किसी कार्यरत आयोग को इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राधिकृत करेगी।

11. **द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को सीधे आवेदन भेजने की राज्य सरकार को शक्ति**– अधिनियम के अन्य प्रावधानों के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार प्रावधानों के अनुपालन के आरोपों सम्बन्धी आवेदन प्राप्त करती है, तो उसे वह सीधे द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को, अधिनियम के अनुसार अग्रतर कार्रवाई के लिए भेज सकेगी।

12. **सदभाव में की गयी कार्रवाई का संरक्षण**– किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसी चीज के लिए, जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भाव में किया गया हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य न्यायिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

13. **नियमावली बनाने की शक्ति** –

(1) राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के प्रयोजनों के पूरा करने के लिए नियमावली बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जायेगा।

14. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति–यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के लागू होने से दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

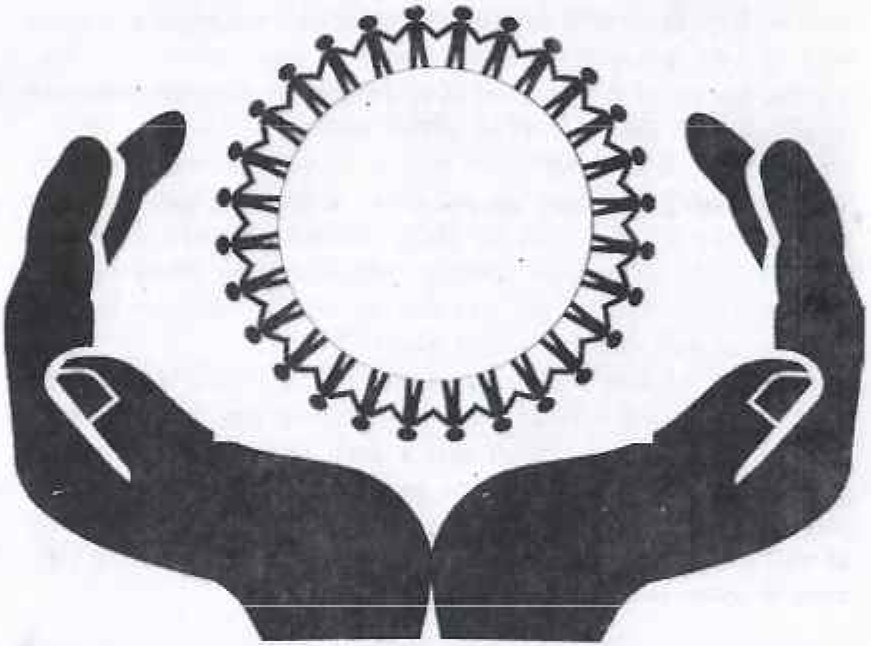

इस नियमावली के अधीन प्रदायी सेवाएं, प्राधिकार एवं इस हेतु समय–सीमा निम्नवत् है

प्रदायी सेवाओं हेतु नियत समय–सीमा की विवरणी

क्र. सं	प्रदायी सेवाओं का नाम झारखण्ड सरकार		नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी	नियत समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु नियम समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु नियम समय सीमा
1	2		3	4	5	6	7	8
1	विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति से सम्बन्धित आवेदनों का निष्पादन	(क) प्राप्त आवेदनों सक्षम, प्राधिकार समक्ष उपस्थापन	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	21दिन	अनुमण्डल पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन
		(ख) अनुशंसा के साथ प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार जांच एवं निर्णय	अनुमण्डल पदाधिकारी	21 दिन	जिला पदाधिकारी	15 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन
2	विद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी शिक्षण संस्थान से छात्रवृति के लिए आवेदनों की स्वीकृति	(क) विद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी शिक्षण संस्थान से आवेदनों का अनुशंसा के साथ सक्षम प्राधिकार के समक्ष अग्रसरण .	प्राचार्य/प्राचार्य/संस्थान प्रमुख	संस्थान में प्रवेश/आवंटन प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर	(क)प्राथमिक विद्यालय/मध्य विद्यालय के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BEO (ख)उच्च विद्यालय से ऊपर के शिक्षण संस्थान के लिए अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन
3	विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित मामलों का निष्पादन	(क) नया एल.टी. विद्युत कनेक्शन	कार्य पालक अभियंता	30 दिन (जहां विद्युत बोर्ड की आधारभूत संरचना उपलब्ध हो)	अधीक्षण	15 दिन	महाप्रबंधक	15 दिन

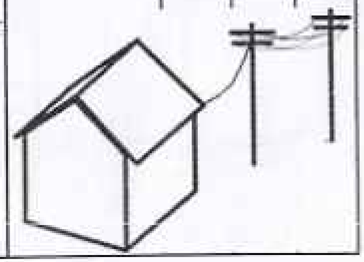

1	2		3	4	5	6	7	8
		(ख) गलत विद्युत विपत्र में सुधार	सहायता अभियन्ता (राजस्व/आपूर्ति)	(क) यदि कोई नई सूचना की आवश्यकता नहीं हो–24 घंटा (ख) यदि अतिरिक्त सूचना या मीटर आदि जांच की आवश्यकता हो–7 दिन	कार्यपालक अभियन्ता	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	15 दिन
		(ग) सामान्य फ्यूज मरम्मती	सहायक अभियन्ता (राजस्व/आपूर्ति)	(क) शहरी क्षेत्रों के लिए–4 घंटा (ख) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए– 24 घंटा	कार्यपालक अभियन्ता	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	15 दिन
		(घ) लाईन केबल ब्रेक डाउन	सहायक अभियन्ता (राजस्व/आपूर्ति)	(क) शहरी क्षेत्रों के लिए–6 घंटा (ख) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए– 36 घंटा	कार्यपालक अभियन्ता	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	15 दिन
4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्गत करना 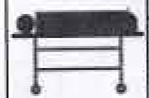	(क) मेडिकल कॉलेज से भिन्न स्थानों पर पोस्टमार्टम	प्रभारी डॉक्टर	3 दिन	डिप्टी सुपरिटेंडेंट	15 दिन	सिविल सर्जन	15 दिन
		(ख) मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम	प्रभारी डॉक्टर	3 दिन	विभागाध्यक्ष एनाटॉमी	15 दिन	अधीक्षक मेडिकल कॉलेज	15 दिन
5	जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करना	....	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी	(क) क्षेत्रीय कर्मचारियों के अनुशंसा के साथ आवेदन प्राप्त होने पर 15 दिन	अनुमण्डल पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन
			प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी	(ख) आवेदन सीधे प्राप्त होने पर 30 दिन	अनुमण्डल पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन

1	2		3	4	5	6	7	8
6	आय प्रमाण–पत्र निर्गत करना	....	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी	(क) क्षेत्रीय कर्मचारियों की अनुशंसा के साथ आवेदन प्राप्त होने पर 15 दिन	अनुमण्डल पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन
			प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी	(ख) आवेदन सीधे प्राप्त होने पर 30 दिन	अनुमण्डल पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन
7	परिवहन विभाग से सम्बन्धित मामलों का निष्पादन	1. विविध अनुज्ञप्तियाँ निर्गमन/नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	45 दिन	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन
		2. चालक अनुज्ञप्ति द्वितीय प्रति का निर्गमन/इन्डोर्समेंट	जिला परिवहन पदाधिकारी	45 दिन	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह
		3.चालक अनुज्ञप्ति का स्मार्ट कार्ड में सम्परिवर्तन	जिला परिवहन पदाधिकारी	10 दिन	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह
		4. अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञा पत्र का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	10 दिन	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह
		5.वाहनों का अस्थायी निबन्धन	जिला परिवहन पदाधिकारी	एक सप्ताह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह
		6. निबन्धन प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	10 दिन	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह
		7.निबन्धन प्रमाण–पत्र का नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	एक सप्ताह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह

1	2	3	4	5	6	7	8
	8 अनापत्ति प्रमाण–पत्र का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	10 दिन	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह
	9 वाहन के स्वरूप परिवर्तन सम्बन्धी मामला	जिला परिवहन पदाधिकारी	10 दिन	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह
	10 वाहनों के निबंधन का रद्दीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	1 माह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन
	11 कर प्रतीक का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	3 दिन	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	3 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	3 दिन
	12. वाहनों का प्रत्यर्पण	जिला परिवहन पदाधिकारी	एक सप्ताह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह
	13. कर माफी / वापसी के आवेदनों का विस्तार	जिला परिवहन पदाधिकारी	1 माह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन
	14. पेट्रोल पम्प अनुज्ञप्ति का निर्गमन / नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	1 माह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन
	15. परिवहन वाहनों का दुरुस्ती प्रमाण पत्र का निर्गमन / नवीकरण	मोटरयान / निरीक्षक प्राधिकृत टेस्टिंग एजेंसी	10 दिन	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	10 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	10 दिन
	16.प्रत्यर्पित / दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का जांच प्रतिवेदन	मोटरयान निरीक्षक	15 दिन	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	7 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	7 दिन
	17. दुरुस्ती प्रमाण–पत्र का द्वितीय प्रति का निर्गमन	मोटरयान निरीक्षक	10 दिन	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	10 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	10 दिन

1	2		3	4	5	6	7	8
9	जन वितरण प्रणाली	(क) दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करना	अनुमण्डल पदाधिकारी / सक्षम पदाधिकारी	30 दिन	उपायुक्त	15 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन
		(ख) दुकान की अनुज्ञप्ति निलंबित होने पर निलम्बन मुक्ति / रद्द करने का निर्णय	अनुमण्डल पदाधिकारी / सक्षम पदाधिकारी	90 दिन	उपायुक्त	21 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन
10	नये राशन कार्ड के आवेदन पर निर्णय	———	अनुमण्डल पदाधिकारी / सक्षम पदाधिकारी	60 दिन	उपायुक्त	21 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन
11	दवा की दुकान हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत करना	———	अनुज्ञप्ति पदाधिकारी	30 दिन	सिविल सर्जन	15 दिन	औषधि नियंत्रक	15 दिन
12	कृषि विभाग से सम्बन्धित अनुज्ञप्तियों को निर्गत करना	(क) खाद की खुदरा दुकान	जिला कृषि पदाधिकारी / सक्षम पदाधिकारी	30 दिन	संयुक्त निदेशक	15 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन
		(ख) बीज की खुदरा दुकान	अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी / सक्षम पदाधिकारी	30 दिन	जिला कृषि पदाधिकारी	15 दिन	संयुक्त निदेशक कृषि	15 दिन
		(ग) कीटनाशी की खुदरा दुकान	जिला कृषि पदाधिकारी / सक्षम पदाधिकारी	30 दिन	संयुक्त निदेशक कृषि	15 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन

1	2		3	4	5	6	7	8
13		(क) दुकान का निबंधन प्रमाण–पत्र	श्रम अधीक्षक	30 दिन	सहायक श्रमायुक्त	15 दिन	उप श्रमायुक्त	15 दिन
		(ख) दाल मिल/आटा चक्की कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन औद्योगिक प्रतिस्थान आदि अनुज्ञप्ति	कारखाना निरीक्षक	30 दिन	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक	15 दिन	मुख्य कारखाना निरीक्षक	15 दिन
		(ग) ठेका मजदूर वि. एवं उ. अधिनियम	श्रम अधीक्षक	30 दिन	सहायक श्रमायुक्त	15 दिन	उप श्रमायुक्त	15 दिन
		(घ) मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम	श्रम अधीक्षक	30 दिन	सहायक श्रमायुक्त	15 दिन	उप श्रमायुक्त	15 दिन
		(ङ) बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्तें का नियमन अधिनियम	श्रम अधीक्षक	30 दिन	सहायक श्रमायुक्त	15 दिन	उप श्रमायुक्त	15 दिन
		(च) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन) एवं सेवा शर्तों का नियमन अधि.	श्रम अधीक्षक	30 दिन	सहायक श्रमायुक्त	15 दिन	उप श्रमायुक्त	15 दिन
		(छ) अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर नियोजन अधि.	उपायुक्त	30 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन	प्रधान सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	15 दिन

1	2		3	4	5	6	7	8
14	ईंट भट्ठा की अनुज्ञप्ति	(क) ईंट भट्ठा की अनुज्ञप्ति निर्गत करना	जला खनन पदाधिकारी /सहायक खनन पदा.	30 दिन	उप निदेशक खान	15 दिन	निदेशक खान	15 दिन
		(ख) ईंट भट्ठा की अनुज्ञप्ति निलम्बित होने पर रद करने/निलम्बन मुक्ति पर निर्णय	जला खनन पदाधिकारी /सक्षम अनुज्ञप्ति पदाधिकारी	30 दिन	उप निदेशक खान	15 दिन	निदेशक खान	15 दिन
15	क्रशर चलाने की अनुज्ञप्ति	गिट्टी बनाने की अनुज्ञप्ति	जिला खनन पदाधिकारी	30 दिन	उप निदेशक खान	15 दिन	निदेशक खान	15 दिन
16	आरा मशीन की अनुज्ञप्ति	——	प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी	60 दिन	वन संरक्षक	15 दिन	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	15 दिन
17	पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन	(क) पासपोर्ट निर्गत करने हेतु पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन	थाना प्रभारी	7 दिन	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी	3 दिन	पुलिस अधीक्षक	3 दिन
		(ख) शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन	थाना प्रभारी	7 दिन	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी	3 दिन	पुलिस अधीक्षक	3 दिन
		(ग) सेवा में नियुक्ति हेतु पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन	थाना प्रभारी	7 दिन	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी	3 दिन	पुलिस अधीक्षक	3 दिन
		(घ) किसी प्रकार का चरित्र प्रमाण पत्र हेतु पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन	थाना प्रभारी	7 दिन	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी	3 दिन	पुलिस अधीक्षक	3 दिन

1	2		3	4	5	6	7	8
18	शहरी क्षेत्र में होल्डिंग निर्धारण हेतु आवेदन पर निर्णय	——	नगर निकाय के प्राधिकृत कार्यपालक पदाधिकारी	30 दिन	(क) नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त (ख) नगर परिषद्/नगर पंचायत क्षेत्र में उप विकास आयुक्त	15 दिन	(क) प्रमण्डलीय आयुक्त (ख) जिला पदाधिकारी	15 दिन
19	दाखिल खारिज नियमित अर्द्ध न्यायिक न्यायालय में	दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन – (क) आपत्ति रहित वाद	अंचल अधिकारी	18 दिन (कार्यदिवस)				
		(ख) वाद, जिसमें आपत्ति दाखिल की गयी हो	अंचल अधिकारी	45 दिन (कार्यदिवस)				
		(ग) अन्तिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचल अधिकारी	3 दिन (कार्यदिवस)				
20	भूमि धारण पोजेशन प्रमाण–पत्र	लैण्ड पोजेशन सर्टिफिकेट का निर्गमन	अंचल अधिकारी	10 दिन (कार्यदिवस)				

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह./– अस्पष्ट
सरोज श्रीवास्तव
सरकार के संयुक्त सचिव

देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या इस कानून के तहत खाद्य सुरक्षा की हकदार हैं। ये राष्ट्रीय अनुपात है और राज्यों के हिसाब से अलग–अलग संख्या तय की गयी है। तुलनात्मक रूप से गरीब राज्यों में ज्यादा संख्या को शामिल किया गया है। राज्य सरकारें अपने संसाधन खर्च करके ज्यादा परिवारों या सभी परिवारों को इस कानून का लाभ देने या अनाज की तय कीमत से कम कीमत पर लाभ देने के लिए स्वतंत्र हैं। पात्र परिवारों की पहचान का काम राज्य सरकारें करेंगी और उन्हें इनकी सूची सार्वजनिक मंच पर रखनी होगी।

विकास सहयोग केंद्र
विवेकानंद चौक,
पनेरी बांध रोड
शाहपुर, चैनपुर,
जिला पलामू, झारखण्ड
पिन: 822110
मो. 06586251120
e mail- vskjh@yahoo.in

EUROPEAN UNION actionaid

Printed By : Suprabhat Udyam, Daltonganj 9431135032

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013

एपीएल–बीपीएल खत्म करो, सबको राशन पेंशन दो

RASTRIYA KHADYA SURAKSHA KANOON
BY SUNIL MINJ

द्वितिय संस्करण 2016

प्रकाशक

विकास सहयोग केन्द्र
पनेरी बांध रोड, शाहपुर, पलामू झारखण्ड
पिनः 822101
दूरभाष : 06586 251120
email: vskjh@yahoo.in

टाईप सेटिंग
प्रभाकर मिंज, ज्योति लकड़ा
प्रुफ रीडिंग
राकेश रोशन किड़ो, ज्योति लकड़ा

मुद्रणः सुप्रभात उद्यम, डालटनगंज

संपादनः सुनीज मिंज
डिजाइनः दीपक बाड़ा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून – 2013

एक संक्षेपिका

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 पहले से चली रही योजनाओं और कुछ नयी योजनाओं को एक छत के नीचे लाकर खाद्य सुरक्षा को एक कानूनी अधिकार का स्वरूप प्रदान करता है। इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारों ने अलग–अलग तारीखें तय की है, परन्तु सभी राज्यों में 5 जुलाई 2014 तक (अध्यादेश जारी होने के 365 दिन के भीतर) इसका क्रियान्वयन शुरू हो जाना चाहिए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

इस कानून के तहत खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिए जाने के लिए दो तरह की श्रेणियाँ तय की गयी है। अन्त्योदय और प्राथमिक परिवारों को समान कीमत पर सस्ता राशन पाने का हक होगा। इनके अलावा बचे हुए परिवार खाद्य सुरक्षा का हक नहीं प्राप्त कर सकेंगे।

पात्र परिवार की श्रेणियां	खाद्यान्न प्रतिमाह	कीमत प्रति किलो
अन्त्योदय	35 किलो प्रति परिवार	मोटा अनाज 1 रूपए किलो गेहूं 2 रूपये किलो चावल 3 रूपये किलो
प्राथमिक परिवार	5 किलो प्रति व्यक्ति	
ये कीमतें तीन साल के लिए तय की गयी है, जिसके बाद इनमें बदलाव हो सकेगा।		

पात्रता परिवार

देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या इस कानून के तहत खाद्य सुरक्षा की हकदार है । ये राष्ट्रीय अनुपात है और राज्यों के हिसाब से अलग–अलग संख्या तय की गयी है। तुलनात्मक रूप से गरीब राज्यों में ज्यादा संख्या को शामिल किया गया है । राज्य सरकारें अपने संसाधन खर्च करके ज्यादा परिवारों या सभी परिवारों को इस कानून का लाभ देने या अनाज की तय कीमत से कम कीमत पर लाभ देने के लिए स्वतंत्र है । पात्र परिवारों की पहचान का काम राज्य सरकारें करेंगी और उन्हें इनकी सूची सार्वजनिक मंच पर रखनी होगी।

महिला यानी परिवार की मुखिया

कानून के तहत राशन कार्ड परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला 18 साल से ज्यादा उम्र की महिला के नाम पर बनेगा। 18 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र की कोई महिला सदस्य न होने पर, राशन कार्ड सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य के नाम से बनेगा। यह कानून बच्चों के भी कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है हर स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्र में भोजन पकाने, पीने के पानी और स्वच्छता की सुविधाएं होंगी, शहरी इलाकों में भोजन पकाने की जरूरत पड़ने पर केंद्रीयकृत रसोई का विकल्प अपनाया जा सकता है ।

बच्चों के अधिकार

किस उम्र के लिए	अधिकार	स्थान/कहां मिलेगा
6 महीने से कम उम्र के लिए	केवल स्तनपान को प्रोत्साहन और परामर्श की व्यवस्था	
6 माह से 3 साल	सुबह का नाश्ता और गरम पका हुआ भोजन	आंगनवाड़ी
3 से 6 साल		आंगनवाड़ी
6 माह से 6 साल (कुपोषित)	घर ले जाने के लिए भोजन	आंगनवाड़ी
6 से 14 साल	पका हुआ दोपहर का खाना (बिना कोई शुल्क)	विद्यालय (छुट्टियों को छोडकर)

स्थानीय निकाय, सरकार द्वारा चलाये जा रहे तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय गर्भवती और धातृ माताएं –

हर गर्भवती और धातृ माताओं को स्थानीय आंगनवाड़ी से निःशुल्क भोजन पाने का हक होगा इसके साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित व्यवस्था के जरिये किश्तों में 6000 रूपये की राशि मातृत्व हक के रूप में पाने का हक होगा।

पात्रता	अधिकार	स्थान/कहाँ से मिलेगा
गर्भवती और धातृ माताएं (बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक)	घर ले जाने के लिए भोजन	आंगनवाड़ी से
मातृत्व अधिकार	कम से कम 6000 रूपए की हक आधारित पात्रता–किश्तों में	केन्द्र सरकार इसके लिए प्रक्रिया और व्यवस्था बनाएगी

पारदर्शिता लाने के लिए अनिवार्य प्रावधान

पारदर्शिता	पीडीएस से जुड़े सभी दस्तावेज और जानकारियाँ सार्वजनिक रखी जायेगी और ये दस्तावेज लोगों के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
सामाजिक अंकेक्षण	निर्धारित समय अवधि पर पीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का सामजिक अंकेक्षण किया जाएगा।
आखिर से आखिर तक (पूरी व्यवस्था और हर चरण का) कम्प्यूटरीकरण	नयी सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए पीडीएस योजना का कम्प्यूटरीकरण करते हुए हर स्तर को पारदर्शी बनाना, इससे अनाज के भण्डारण, परिवहन, आवंटन, हितग्राही तक इसकी पहुंच, राशन दुकान की हर नवीनतम जानकारी सार्वजनिक रहेगी।
सतर्कता समिति	राज्य, जिला, ब्लॉक और राशन की दुकान के स्तर पर इस कानून के तहत शामिल योजनाओं की निगरानी के लिए सतर्कता समिति का गठन होगा।

शिकायत निवारण

यह कानून जिला और राज्य स्तर पर दो–स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था की संरचना करता है । हर जिले में जिला शिकायत निवारण अधिकारी और हर राज्य में राज्य खाद्य आयोग होगा।

राज्य खाद्य आयोग	राज्य खाद्य आयोग में एक अध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य सचिव होगा। इनमें दो महिलाएं, एक–एक सदस्य दलित आदिवासी समूह से होना चाहिए। कानून के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना, राज्य सरकार को सुझाव और मार्गदर्शन देना, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन या लोगों को अधिकारों का हनन होने पर जांच–पड़ताल करके कार्यवाही करना। आयोग को सिविल कोर्ट का दर्जा मिला है।
जिला शिकायत निवारण अधिकारी	हर जिले के लिए इस अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। जो शिकायतों को दर्ज करेगा और कानून के प्रावधानों के मुताबिक उनका निराकरण करेगा। यदि कोई इस अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह राज्य खाद्य आयोग में अपील कर सकेगा।

राज्य खाद्य आयोग और जिला शिकायत निवारण अधिकारी को आर्थिक दंड लगाने का अधिकार होगा। यदि किसी पात्र व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा का हक नहीं मिलता है तो उसे खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का हक होगा।

आर्थिक दण्ड	राज्य खाद्य आयोग को आर्थिक दंड लगाने का अधिकार होना। जिम्मदार अधिकारी/व्यक्ति पर 5000 रूपये का आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा।
भत्ता	यदि हकदार को तय मात्रा में खाद्यान्न अथवा भोजन नहीं दिया जाता है, उन पात्र लोगों को राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का हक होगा।
आंतरिक शिकायत व्यवस्था	राज्य सरकार शिकायत निवारण और निगरानी के लिए हेल्प लाईन, नोडल अधिकारी की नियुक्ति करके आंतरिक शिकायत निवारण की व्यवस्था बनाएगी।

राज्य सरकारों को आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था बनानी है । इसके हेल्पलाईन, जिम्मेदार अधिकारी नोडल–अधिकारी की नियुक्ति जैसे प्रावधान लागू किये जायेगें।

शासन के कर्त्तव्य

केन्द्र सरकार	तय कीमतों पर राज्य सरकारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, ऐसा न होने पर आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाना। यह राज्य सरकारों को स्थानीय वितरण/परिवहन व्यवस्था के लिए भी तय मानकों के आधार पर सहयोग करेंगी। केन्द्र सरकार को नियम बनाने के व्यापक अधिकार हैं।
राज्य सरकार	केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के मुताबिक कानून से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करना, राज्यों को भी नियम बनाने के व्यापक अधिकार हैं, राज्य अगर चाहे तो अपने संसाधन खर्च करके कानून के तहत दिए गए अधिकारों और फायदों में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
स्थानीय शासन व्यवस्था और पंचायती राज	अपने क्षेत्र में कानून का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। उन्हें अधिसूचना जारी करके अन्य जिम्मेदारियां, भूमिकाएं भी दी जा सकती है।

खाद्य सुरक्षा की उन्नति के लिए प्रावधान –

- कृषि का पुरूद्धार (कृषि के क्षेत्र में सुधार, शोध और विकास, लाभकारी मूल्य की वयवस्था)
- खरीदी, भण्डारण और खाद्यान्न के परिवहन की व्यवस्था (खरीदी में विकेन्द्रीकरण)
- अन्य प्रावधान (पीने का पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, और वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और एक महिलाओं के लिए पर्याप्त पेंशन) आदि

राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत
राज्य में विधवा, विकलांग बंधुआ मजदूर
(जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो)
तथा 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के असहाय व्यक्ति को,
जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 10,500/– तथा
शहरी क्षेत्र में 12,500/– रू. तक है,
राज्य सरकार द्वारा 400/– के स्थान पर 600/– रू. की दर से
पेंशन दिनांक–01.02.2014 से देय होगी।
उक्त तिथि से राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में
कुल–600/– रू. प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान करेगी।

EUROPEAN UNION

actionaid

VIKAS SAHYOG KENDRA

विकास सहयोग केंद्र
विवेकानंद चौक, पनेरी बांध रोड
शाहपुर, चैनपुर,
जिला पलामू, झारखण्ड
पिन: 822110
मो. 06586251120
e.mail- vskjh@yahoo.in

Printed By : Suprabhat Udyam, Daltonganj 9431135032

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

एपीएल–बीपीएल खत्म करो सबको राशन पेंशन दो

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

एपीएल–बीपीएल खत्म करो सबको राशन पेंशन दो

SAMAJIK SURAKSHA PENSION
BY SUNIL MINJ

द्वितीय संस्करण 2016

प्रकाशक

विकास सहयोग केन्द्र
पनेरी बांध रोड, शाहपुर, पलामू झारखण्ड
पिनः 822101
दूरभाष : 06586 251120
email: vskjh@yahoo.in

टाईप सेटिंग
प्रभाकर मिंज, ज्योति लकड़ा
प्रुफ रीडिंग
राकेश रोशन किड़ो, ज्योति लकड़ा

मुद्रणः सुप्रभात उद्यम, डालटनगंज

संपादनः सुनीज मिंज
डिजाइनः दीपक बाड़ा

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

झारखण्ड सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित सभी पेंशन योजनाओं में दिनांक–01.02.2014 से राज्यांश की राशि में वृद्धि/राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए निर्धारित अहर्त्ता में संशोधन और राज्यांश की राशि एवं भौतिक लक्ष्य में दिनांक–01.02.2014 से वृद्धि की गयी है ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवारों के ऐसे व्यक्तियों को, जो अन्य अहर्त्ताएं पूरी करते हैं दिनांक 01.02.2014 के राज्य सरकार द्वारा 200/– रु. के स्थान पर 400/– की राशि दी जायेगी जबकि केन्द्रांश की राशि 200/– यथावत रहेगी। इस प्रकार 60–79 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को दिनांक 01.02.2014 से 400/– रू. प्रतिमाह के स्थान पर 600/–(छः सौ) रू. प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान होगा जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 33.33:66.67 का होगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनधारियों को केन्द्र सरकार के द्वारा 500/– (पांच सौ) रुपये प्रतिमाह की राशि दी जाती है तथा राज्यांश की राशि पूर्ववत 200/– रहेगी। इस प्रकार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनधारियों का दिनांक–01.02.2014 से पूर्व की भांति 700/–(सात सौ) रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान होगा।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत 40 वर्ष से 79 वर्ष की ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की बी.पी.एल. परिवारों की ऐसी विधवाओं को, जो अन्य अहर्त्ताएं पूरी करती हैं, दिनांक 01.02.2014 से राज्य सरकार द्वारा 200/– रूपये के स्थान पर 300/– रूपये प्रतिमाह की दर से राशि देय होगी जबकि केंन्द्रांश की राशि पूर्ववत 300/– रूपये रहेगी। इस प्रकार 40 वर्ष आयु वाली विधवाओं को दिनांक–01.02.2014 से 500/– रूपये के स्थान पर 600/– रूपये (छः सौ) प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का 50:50 होगा।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 79 वर्ष के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के बी.पी.एल. सूची 2002 में सम्मिलित विकलांग व्यक्तियों को, जो परिभाषित किए गए है तथा अन्य अहर्ताएं पूरी करते है, दिनांक–01.02.2014 से राज्य सरकार 200/– रुपये के स्थान पर 300/– रुपये की पेंशन देय होगी जबकि केन्द्रांश की राशि 300/– रुपये रहेगी। इस प्रकार 18–79 वर्षा की आयु वाले 80 प्रतिशत विकलांगता वाले को दिनांक 01.02.2014 से 500/– रूपये के स्थान पर 600/– (छ:सौ) रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 होगा।

राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य में विधवा, विकलांग, बंधुआ मजदूर (जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो) तथा 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के असहाय व्यक्ति का, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 10,500/– तथा शहरी क्षेत्र में 12,500/– रूपये तक है, राज्य सरकार द्वारा 400/– के स्थान पर 600/– रूपये की दर से पेंशन दिनांक 01.02.2014 से देय होगा। उक्त तिथि से राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कुल 600/– रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान करेगी।

	योजना का नाम	वर्तमान में अहर्ता एवं देय राशि	दिनांक 01.02.2014 से संशोधित अहर्ता एवं देय कुल पेंशन राशि
1	2	3	4
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60–79 वर्ग आयु वर्ग)	60–79 वर्ष की आयु की बी.पी.एल परिवार के व्यक्तियों को 400/– रूपये प्रतिमाह पेंशन देय है।	60–79 वर्ष की आयु के ग्रामीण क्षेत्र में 7995/– रू. तथा शहरी क्षेत्र में 9,974/– रू. तक की वार्षिक आयु वाले व्यक्तियों को (जो गरीबी रेखा के नीचे है) दिनांक 01.02.2014 से 600/– रू. प्रतिमाह पेंशन देय है ।
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (40–79 वर्ष आयु वर्ग)	40–79 वर्ष की आयु की बी.पी.एल परिवार की विधवाओं को 500/–रूपये प्रतिमाह पेंशन देय है ।	40–79 वर्ष की आयु के ग्रामीण क्षेत्र में 7995/– रू. तथा शहरी क्षेत्र में 9,974/– रू. तक की वार्षिक आयु वाली विधवाओं को (जो गरीबी रेखा के नीचे है) दिनांक 01.02.2014 से 600/– रू. प्रतिमाह पेंशन देय है।
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (18–79 वर्ष आयु वर्ग)	18–79 वर्ष की आयु के बी.पी.एल परिवार के 80 प्रतिशत विकलांग वाले व्यक्तियों को 500/– रूपये प्रतिमाह पेंशन देय है ।	18–79 वर्ष की आयु के ग्रामीण क्षेत्र मे 7995/– रू. तथा शहरी क्षेत्र में 9,974/– रू. तक की वार्षिक आय वाले 80 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों को (जो गरीबी रेखा से नीचे है) दिनांक 01.02.2014 से 600/– रू. प्रतिमाह पेंशन देय है।
4	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग)	गैर बी.पी.एल. परिवारों को 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की विधवाओं 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के 40 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों, निर्धन असहाय एवं विमुक्त बंधुआ मजदूरों को, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 5,000/– रु. तथा शहरी क्षेत्र में 5,500/– रू. से अधिक नही हो, 400/– रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है।	उपर्युक्त तीनों पेंशन योजनाओं से अनाच्छादित 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों, 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की विधवाओं 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के 40 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों निर्धन, असहाय एवं विमुक्त बंधुआ मजदूरों को, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 10,500/–रू. तथा शहरी क्षेत्र में 12,500/– रू. से अधिक नहीं है, दिनांक 01.02.2014 से 600/–रू. प्रतिमाह पेंशन देय है ।

सम्प्रति भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60–79 वर्ष की आयु के बी.पी.एल परिवार के व्यक्तियों के लिए इस राज्य का कुल भौतिक लक्षय 9,13,855 तथा 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 79,112 निर्धारित किया गया है, जबकि राज्य में इस योजना में दोनो वर्गो के लाभुको की संख्या क्रमश 5.01 लाख तथा 40 हजार है तथा कुल 5.50 लाख लाभुक हैं। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारत सरकार के लक्ष्य के अनुसार उपर्युक्त आय वर्ग के अहर्ता प्राप्त लोगों को जो वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे हैं इस योजना से आच्छादित किया जाये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन में भारत सरकार द्वारा राज्य का कुल लक्ष्य 2,72,108 तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना में 31,286 निर्धारित किया गया है किन्तु सम्प्रति राज्य में इन दोनों योजनाओं में क्रमशः लगभग 2,41,000 एवं 17,000 लाभुक है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार उपर्युक्त आय वर्ग के अहर्त्ता प्राप्त लोगो को, जो गरीबी रेखा से नीचे है, इन योजनाओं से आच्छादित किया जायेगा।

राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का वर्तमान भौतिक लक्ष्य 2 लाख है। दिनांक 01.02.2014 से इसमें वृद्धि करके इसे 3 लाख निर्धारित किया जाता है । जिलावार लक्ष्य इस पत्र के साथ अनुलग्नक–1 के रूप मे संलग्न है । राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 7,996/– रू. से लेकर 10,500/– तक की वार्षिक आय तथा शहरी क्षेत्र में 9,975/– से लेकर 12,500/– रू. तक की वार्षिक आय वाले 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के लोगों को आच्छादित किया जाएगा। किन्तु यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इससे कम वार्षिक आय वाले 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति अन्य तीनों पेंशन योजनाओं में से किसी एक से आच्छाछित हो जाएं। सम्प्रति राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राज्य में लगभग 1.74 लाख लाभुक हैं तथा इन सबकी वार्षिक आयु ग्रामीण क्षेत्र में 5,000/– रू. तक अथवा शहरी क्षेत्र में 5,500/– रू. तक है । आप राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के वर्त्तमान लाभुकों में से 18–40 वर्ष की आयु की विधवा एवं 40 प्रतिशत विकलांगता वाले लाभुक को छोडकर (जो भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार क्रमशः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना से आच्छादित नहीं हो सकते) शेष लाभुकों को इंदिरा गांधी राष्टीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दें तथा आय सीमा अनुरुप राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंस्सन स्वीकृत करें। नए लाभुकों को चारों पेंशन योजनाओं में पेंशन स्वीकृत करते समय संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड अथवा यू.आई.डी. नम्बर (यदि इनरोलमेंट हो गया है एवं आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ हो तो) बैंक खाता न. पोस्ट ऑफिस खाता न. प्राप्त करना और अभिलेख में उसे अंकित करना अनिवार्य है । चारों पेंशन योजनाओं में पेंशन स्वीकृत करने के लिए सक्षम पदाधिकारी पूर्ववत अनुमंडल पदाधिकारी रहेंगे।

संगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत निर्धन/अशिक्षित श्रमिक/बी.पी.एल. परिवार/रिक्सा एवं ठेला श्रमिक/टेम्पू वाहन चालक/स्ट्रीट भेंडर/भवन निर्माण श्रमिक/कूड़ा चुनने वाले/घरेलू नौकर इत्यादि के लिए लाभकारी योजनाओं के संबध में सूचना

पात्रता	लाभ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल श्रेणी के 60 वर्ष से अधिक आयु के महिला पुरुष, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 7995.00 तथा शहरी क्षेत्र में 9974.00 रूपये है और जो भारत के नागरीग हो ।	1. दिनांक–01.02.2014 से प्रतिमाह 600 रूपये की दर से पेंशन। 2. 80 वर्ष या उससे ऊपर 700.00 प्रतिमाह की दर से पेंशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 1. बी.पी.एल. सूची में हो। 2. आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष की विधवा हो। 3. शहरी क्षेत्र में 9974.00 रू. एवं ग्रामीण क्षेत्र में 7995.00 रू. से कम आये का श्रोत हो। 4. भारतीय नागरिक हो।	01.02.2014 से 600.00 रू. की दर से प्रति माह पेंशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना। 1. बी.पी.एल. सूची में दर्ज वैसे विकलांग महिला/पुरःष जिनकी विकलांगता 80 प्रतिशत है। 2. आयु 18–79 वर्ष के बीच हो। वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में 9974.00 एमं ग्रामीण क्षेत्र में 7995.00 हो। 3. भारत के नागरिक हो।	01.02.2014 से 600.00 रू. की दर से प्रति माह की दर से पेंशन
राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1. गैर बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति हों। 2. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा हो। 3. 18. वर्ष की आयु से अधिक 40 प्रतिशत या उससे अधिक के विकलांग व्यक्ति, निर्धन असहाय एवं विमुक्त बंधुवा मजदूर वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 10500.00 रू. शहरी क्षेत्र में 12500.00 रू. 4. भारत के नागरिक हों ।	01.02.2014 से 600.00 रू. की दर से प्रति माह की दर से पेंशन

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना प्राकृतिक कारणो से या दुर्घटना के कारण परिवार के मुख्य अर्जनकर्ता की मृत्यु की स्थिति में 1. बी.पी.एल. सूची में नाम दर्ज हो 2. 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच हो। 3. भारत के नागरिक हों।	आश्रित को 20000.00 रू. का एक मुश्त अनुदान।
आम आदमी बीमा योजना 1. ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवार के मुखिया जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो 2. बांसगीत 50 डी. से कम जमीन होने पर 3. भारत का नागरिक हो सम्पर्क : संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी	दुर्घटनाग्रस्त होने पर 75000.00 रूपये अंग–भंग होने पर 37500.00 रूपये। स्वाभाविक मृत्यु होने पर 30000/– रू. बीमित व्यक्ति के दो पुत्र/पुत्री जो 12वीं में अध्ययन करते हो तो 100.00 प्रतिमाह छात्रवृति।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना असहाय रोग जैसे कैंसर, ह्रदय रोग, किडनी बीमारी, ब्रेन ट्युमर, एड्स, पूर्ण कूल्हा एवं घुटना बदलना, वृहत वस्कुलर शल्य चिकित्सा बोन ट्रान्सप्लान्टेशन, स्पाइनल शल्य चिकित्सा में। बी.पी.एल. परिवार, मनरेगा कर्मी (जिन्होनें विगत वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिनों तक कार्य किया हो।) घरेलू कामगार बीड़ी मजदूर, भवन एवं सन्निर्माण कामगार, स्ट्रीट भेन्डर इत्यादि	30,000.00 रूपये का बीमा। 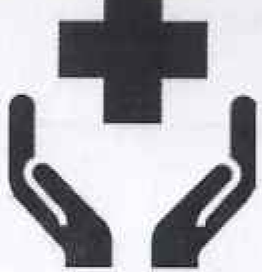
समेकित हैन्डलूम विकास योजना बुनकर श्रमिको के लिए दो योजना है– **1. स्वास्थ्य बीमा योजना,** बुनकर परिवार के चार सदस्यों को उनके द्वारा न्यूनतम 50.00 रूपये जमा करने पर बीमा।	पूरे देश के पंजीकृत ओ.पी.डी. केन्द्रो में 7500.00 रूपये तक का मुफ्त इलाज।
2. महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना बुनकर श्रमिक के द्वारा 80.00 रूपये भुगतान करने पर जीवन पर्यन्त बीमा होता है। बुनकर की उम्र 18–59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। *सम्पर्क : निदेशक, हैन्डलूम निदेशालय।*	मृत्यु होने पर 60 हजार का भुगतान बुनकर श्रमिक के नवीं एवं दसवीं में पढ़ने वाले प्रति बच्चे को 300.00 रूपये की त्रैमासिक छात्रवृति।

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना गर्भवती महिलाओं के द्वारा प्रसव कराने पर योजना का लाभ उपलब्ध है सम्पर्क: प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी / उपाधीक्षक, जिला अस्पताल।	जीवित जन्म पर 6000 रूपये दो किश्तों में भुगतान किया जायेगा ।
मछुआ कल्याण – 1. मछुआ आवास योजना–राज्य सरकार द्वारा चिन्हित सक्रिय मछुआरा जिनके पास कम से कम एक डिसमिल भूमि हो।	दस के कलस्टर में 50 हजार की लागत पक्का आवास
2. सामुदायिक दुर्घटना बीमा योजना सक्रिय मछुआरे के लिए उपलब्ध है। सम्पर्क : जिला मत्स्य पदाधिकारी	मछुआरों के आकस्मिक निधन पर एक लाख रूपये तथा एक अंग–भंग होने पर पचास हजार रूपये बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान।

आईसीडीएस
एकमात्र प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है
जो छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आवश्यकताओं पर केन्द्रित है।
यह छोटे बच्चों को पूरक पोषण, स्वास्थ्य एवं
स्कूल पूर्व शिक्षा जैसी सेवाएं एकीकृत रूप से प्रदान करता है।

चूंकि बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण आवश्यकताएं
उसकी मां को दूर रख कर पूरी नहीं की जा सकती,
इसलिए यह कार्यक्रम किशोरियों, गर्भवती महिलाओं
और धातृ माताओं तक को समेटता है।

विकास सहयोग केंद्र
विवेकानंद चौक, पनेरी बांध रोड
शाहपुर, चैनपुर,
जिला पलामू, झारखण्ड
पिन: 822110
मो. 06586251120
e mail- vskjh@yahoo.in

EUROPEAN UNION actionaid

Printed By : Suprabhat Udyam, Daltonganj, 9431135032

समेकित बाल विकास परियोजना

बचपन को करें आबाद, आंगनवाड़ी जिंदाबाद

समेकित बाल विकास परियोजना

बचपन को करें आबाद, आंगनबाड़ी जिंदाबाद

सबके लिए आंगनवाड़ी

SAMEKIT BAAL VIKAS PARIYOJNA
BY SUNIL MINJ

द्वितीय संस्करण 2016

प्रकाशक

विकास सहयोग केन्द्र
पनेरी बांध रोड, शाहपुर, पलामू झारखण्ड
पिन: 822101
दूरभाष : 06586 251120
email: vskjh@yahoo.in

टाईप सेटिंग
प्रभाकर मिंज, ज्योति लकड़ा
प्रुफ रीडिंग
राकेश रोशन किड़ो, ज्योति लकड़ा

मुद्रण: सुप्रभात उद्यम, डालटनगंज

संपादन: सुनीज मिंज
डिजाइन: दीपक बाड़ा

सबके लिए आंगनवाड़ी

छः वर्ष तक के बच्चों के अधिकारों के लिए

परिचय

सह मार्गदर्शिका छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मौलिक अधिकारों खास कर उनके पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार से संबधित है। यह इन अधिकारों की सुरक्षा के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में आइसीडीएस (आंगनवाड़ी कार्यक्रम) पर केंद्रित है और "गुणवत्ता के साथ सर्वव्यापीकरण" का मुददा उठाता है। छः वर्ष से छोटे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु अन्य कई हस्तक्षेप भी आवश्यक है। जिनमें, उदाहरण के लिए, शिशु घर व मातृत्व लाभ शामिल है, जो आज तक लगभग नगण्य है। कार्य–सथल पर शिशु घरों की सुविधा, स्तनपान की निरन्तरता और बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है। मातृत्व लाभ बच्चे के जन्म के बाद माँ को अपना स्वास्थ्य सुधारने और सुकुमार नन्हीं जान को आवश्यक पूरा समय देने के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवाएं भी उतनी ही आवश्यक है। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा और लिंग–संबंध के क्षेत्रों में भी व्यापक कार्यवाही की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है, परन्तु सरकार को जिम्मेवार बनाने के लिए जन दबाव जरूरी है। बहरहाल, मुददे पर स्पष्टता के साथ शुरूआत हम आंगनवाड़ी कार्यक्रम और छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मौलिक अधिकारों की हिफाजत में उसकी विभिन्न भूमिकाओं पर संक्षिप्त चर्चा से करते हैं।

आईसीडीएस क्या है ?

आईसीडीएस एकमात्र प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आवश्यकताओं पर केन्द्रित है। यह छोटे बच्चों को पूरक पोषण, स्वास्थ्य एवं स्कूल पूर्व शिक्षा जैसी सेवाएं एकीकृत रूप से प्रदान करता है। चूंकि बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण आवश्यकताए उसकी मां को दूर रख कर पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए यह कार्यक्रम किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और धातृ माताओं तक को समेटता है।

1975 में भारत सरकार ने आईसीडीएस को परियोजना के रूप में प्रारम्भ किया। आईसीडीएस के घोषित उद्देश्य इस प्रकार है –

घोषित उद्देश्य–

- छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना।
- बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना।
- मृत्यु, बीमारी, कुपोषण और स्कूल छोड़ने के प्रवृति में कमी लाना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन का प्रभावशाली समन्वयन हासिल करना।
- बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण और विकास की जरूरतों की देखभाल के लिए उपयुक्त सामुदायिक शिक्षण द्वारा माताओं की क्षमता विकसित करना।

आंगनवाड़ी कार्यक्रम की बुनियादी जानकारी

आंगनवाडी कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली मूलभूत सेवाएं तीन वृहत श्रेणियों में आती हैं, पोषण, स्वास्थ्य और स्कूल पूर्व शिक्षा। पोषण सेवाओं में पूरक पोषण, वृद्धि पर निगरानी रखना और पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श सम्मिलित है। स्वास्थ्य सेवाओं में टीकाकरण, मूलभूत स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवाएं सम्मिलित हैं। स्कूल–पूर्व शिक्षा के तहत आंगनवाड़ी में विभिन्न प्रोत्साहन एवं शैक्षणिक गतिविधियां सम्मिलित हैं।

आंगनवाड़ी कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाएं –

जैसा कि नाम से विदित है आंगनवाडी कार्यक्रम छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर केन्द्रित "एकीकृत सेवाओं" को प्रदान करने पर लक्षित है । प्रदान की जाने वाली सेवाओं में प्रमुख है :

अ. पोषण

1. पूरक पोषण – पोषण तत्व अलग–अलग राज्यों में भिन्न है पर अधिकतर आंगनवाडी में पकाया गया एवं गरम भोजन होता है जो दाल, अनाज, तेल, चीनी, आयोडिन युक्त नमक आदि से तैयार होता है। कई बार तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों को "घर ले जाने वाली राशन" (टेक होम राशन) भी प्रदान किया जाता है।

2. बढ़त की निगरानी और प्रोत्साहन – तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर निगरानी रखने के लिए महीने में एक बार उन्हें तौला जाता है । बड़े बच्चों को तीन माह में एक बार तौला जाता है। वृद्धि चार्ट भरे जाते हैं ताकि वजन में वृद्धि एवं गिरावट को पहचाना जा सके।

3. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षण – पोषण और स्वास्थ्य शिक्षण का लक्ष्य है कि 15–45 वर्ष की महिलाओं को अपने स्वयं के तथा अपने बच्चों और परिवार के स्वास्थ्य एवं पोषण की जरूरतों की देखरेख में मदद की जा सके। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा परामर्श सत्रों, गृह भ्रमण और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसमें स्तनपान, परिवार नियोजन, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग आदि विषय होते है।

ब. स्वास्थ्य

4. टीकाकरण – छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो, डीपीटी (काली खांसी, गलघोंटू, टेटनस, खसरा और क्षय रोग से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है और गर्भवती महिलाओं को टेटनस से बचाव के लिए टीके लगाये जाते हैं। यह आंगनवाड़ी कार्यक्रम और स्वास्थ्य विभाग की साझा जिम्मेदारी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता की मुख्य भूमिका स्वास्थ्यकर्मियों (जैसे एएनएम) की सहायता करना, रिकार्ड रखना, माता–पिता को प्रेरित करना और टीकाकरण सत्र का आयोजन करना है।

5. स्वास्थ्य सेवाएं – आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जरिये स्वास्थ्य सेवाओं को दिया जाना अपेक्षित है जिसमें छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखरेख, धातृ माताओं की प्रसव के बाद देखरेख, वजन के रिकार्ड अल्प पोषण का प्रबंधन और छोटी मोटी बीमारियों का निदान सम्मिलित है।

6. संदर्भ सेवाएं – यह सेवाएं बीमार और कुपोषित बच्चो, विकलांग बच्चों और उन बच्चों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ती है, जिन्हें स्वास्थ्य के जांच की जरूरत है। इस प्रकार के मामलों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को रेफर करती है।

स. स्कूल पूर्व शिक्षा

7. स्कूल पूर्व शिक्षा– इसका मकसद 3–4 वर्ष की उम्र वाले बच्चों को शैक्षणिक माहौल और तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारम्भिक देखभाल और प्रोत्साहन प्रदान करना है। स्कूल पूर्व शिक्षा सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक और सौंदर्यबोध के विकास को बढ़ावा देने के लिए 'खेल' के माध्यम से प्रदान की जाती है और उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए भी तैयार किया जाता है ।

इन सेवाओं को प्रदान कराने की जिम्मेवारी किसकी है ?

कई पात्रों के साथ आंगनवाडी कार्यक्रम जटिल कार्यक्रम है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन की बुनियादी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है । राज्य में आंगनवाड़ी कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार शीर्ष विभाग सामान्यतः महिला एवं बाल विकास विभाग होता है या संबंधित जैसे समाज कल्याण विभाग। जमीनी स्तर पर प्रमुख भूमिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा निभाई जाती है जो आंगनवाड़ी की इकलौती प्रबंधिका के रूप में अनेकों जिम्मेदारी निभाती है। सक्रिय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सच्ची नायिका है। उनकी सफलता कई लोगों के सहयोग और सहायता पर निर्भर होती है : आंगनवाड़ी सहायिका, ए.एन.एम., पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी और निश्चित रूप से ग्राम समुदाय पर।

दलित परिवारों, आदिवासी इलाकों और शहरी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के बारे में यह कहना जरूरी नहीं कि उन तक भी पहुंचना आवश्यक है। वास्तव में 7 अक्टूबर 2004 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नयी आंगनवाड़ियों की स्वीकृति में दलित/आदिवासी बस्तियों को प्राथमिकता देना जरूरी है और सभी शहरी बस्तियों में आंगनवाड़ी होनी चाहिए। संक्षेप में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी बच्चों को अर्थ है–सभी बच्चे। ग्रामीण समुदायों के अनुसार, शहरी बस्तियों को भी मांगने पर आंगनवाड़ी का अधिकार है।

आंगनवाड़ी कार्यक्रम को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

दिनांक 28.11.2001 का आदेश –

- 6 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को 300 कैलोरी और 8–10 ग्राम प्रोटीन मिले।
- प्रत्येक किशोरी बालिका को 500 कैलोरी और 20–25 ग्राम प्रोटीन मिले ।
- प्रत्येक गर्भवती और धातृ माताओं को 500 कैलोरी और 20–25 ग्राम प्रोटीन मिले।
- प्रत्येक कुपोषित बच्चे को 600 कैलोरी और 16–20 ग्राम प्रोटीन मिले।
- प्रत्येक बस्ती में वितरण केन्द्र हो (आंगनवाड़ी)।

दिनांक 29.4.2004 का आदेश

- 0–6 वर्ष के सभी बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धातृ माताओं को वर्ष में 300 दिन पूरक पोषाहार प्राप्त करेगी।

दिनांक 07.10.2004 का आदेश

- आंगनवाड़ी की संख्या 6 लाख से बढ़ा कर 14 लाख की जाये।
- पूरक पोषण के न्यूनतम मानक को बढ़ाकर दो रूपये प्रति बच्चा प्रतिदिन किया जाये।
- प्रत्येक स्वीकृत आंगनवाड़ी को तुरंत चालू किया जाये।
- जितनी जल्दी सम्भव हो, सभी दलित/आदिवासी बस्तियों में आंगनवाड़ी हो और नयी आंगनवाड़ी खोलने के लिए उन बस्तियों को प्राथमिकता दी जाये जहां दलित/आदिवासी की जनसंख्या अधिक हो।
- सभी शहरी बस्तियों में आंगनवाड़ी का इस्तेमाल न हो।
- पूरक पोषण की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों का इस्तेमाल न हों।
- स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला मण्डलों को आंगनवाड़ी में पूरक पोषाहार की आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। वे खरीदारी करने, स्थानीय स्तर पर भोजन तैयार करने और उसके वितरण की निगरानी कर सकते हैं।
- केन्द्र सरकार और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सुनिश्चित करे कि समस्त आवंटित राशि समय पर स्वीकृत की जाये, ताकि बच्चों को खिलाने में कोई रूकावट न आये।
- आंगनवाड़ी केन्द्र कहां चल रहे हैं, श्रेणीवार लाभार्थियों की सूची आवंटित और खर्च की गयी राशि संबंधित मामलों समेत आंगनवाड़ी कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश अपने वेबसाइट पर डालें।

आंगवाड़ी कार्यक्रम के बारे में खाद्य सुरक्षा कानून क्या कहता है

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 आंगनवाड़ी सेवाओं को कानूनी हक बनाता है। इन सेवाओं को बॉक्स में बताया जा रहा है –

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में आंगनवाड़ी कार्यक्रम

- अनुसूची 2 में दिए गये पोषण मानकों पर आधारित उम्र के अनुसार छः माह से छः वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन।
- छः माह तक के बच्चों के लिए मात्र माँ का दूध (स्तनपान) को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- अनुसूची 2 में दिये गये पोषण मानको पर आधारित आंगनवाड़ी से निःशुल्क भोजन के लिए गर्भ के दौरान और बच्चा जनने के छः माह तक सभी महिलाएं हकदार होंगी।
- राज्य सरकार आंगनवाड़ी के माध्यम से सभी कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर अनुसूची 2 में दिये गये मानकों के अनुसार निःशुल्क भोजन उपलब्ध करायेगी।
- प्रत्येक आंगनवाड़ी में रसोईघर, पीने का पानी और स्वच्छता की सुविधा होगी।

अनुसूची 2 के प्रावधान

श्रेणी	आयु	भोजन का प्रकार	कैलोरी	प्रोटीन (ग्राम में)
बच्चे	6 माह से तीन वर्ष	घर ले जाने वाला राशन	500	12–15
	3 से 6 वर्ष	सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन	500	12–15
	6माह से 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे	घर ले जाने वाला राशन	800	20–25
महिला	गर्भवती एवं धातृ माताएं	घर ले जाने वाला राशन	600	18–20

सर्वोच्च न्यायालय के दिसम्बर 2006 का आदेश की बात कही गयी है। वह क्या है –

उपरोक्त आदेश में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जिस बस्ती/मोहल्ले में कम से कम 40 बच्चे छः वर्ष से कम के हैं लेकिन आंगनवाड़ी नहीं है, वे तीन माह के अन्दर एक आंगनवाड़ी केन्द्र मांग पर पाने का हक रखते हैं। यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण आदेश है। यह आंगनवाड़ी सेवाओं की कानूनी हकदारी को पुनः स्थापित ही नहीं करता वरन् हक को प्राप्त करने का तरीका भी बताता है। मांग पर आंगनवाड़ी का सिद्धान्त को सुधरे हुए मानकों के आधार पर सार्वजनीकरण के अभाव में एक सुरक्षा कवच भी माना जा सकता है। यदि सरकार आंगनवाड़ी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाती है, जनता को मांगने का अधिकार है।

उन बस्तियों का क्या होगा जिनमें 40 से कम बच्चे हैं –

150 से 400 (आदिवासी पहाड़ी, रेगिस्तानी और अन्य कठिन क्षेत्रों में 150 से 300) की जनसंख्या पर मिनी आंगनवाड़ी की सुविधा है। लेकिन मिनी आंगनवाड़ी मुख्यतः पूरक पोषाहार तक सीमित रहती है। यद्यपि मापदण्ड कहते है कि यहां भी सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अतः छोटी बस्तियों के लिए अभी प्रावधानों में कमी है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश छोटी बस्तियों में मिनी आंगनवाड़ी निषेध नहीं करते। लेकिन आदेश स्पष्ट कहते है कि छः वर्ष से छोटे सभी बच्चों को आंगनवाड़ी सुविधाओं का हक है। उदाहरण के लिए 13 दिसम्बर 2006 का आदेश स्पष्ट शब्दों में कहता है कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम की सेवाएं छः वर्ष से कम के हर बच्चे, सभी गर्भवती एवं धातृ माताओं और किशोरियों तक पहुंचे। मिनी आंगनवाड़ी को इस उद्देश्य हेतु पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। निश्चय ही आंगनवाड़ी की सम्पूर्ण सेवाओं को छोटी बस्ती तथा फलों (हर घर) तक पहुंचना भविष्य के लिए एक चुनौती वाला कार्य है । यह कार्य विशेष महत्व का है, क्योंकि प्रायः ऐसे स्थानों पर पिछड़े समुदाय रहते है, जिनके बच्चों में उच्च स्तर का कुपोषण पाया जाता है।

आंगवाड़ी कार्यक्रम का अधिक मजबूत एंव पुनर्गठित ढांचा–

- पूरक पोषक की लागत (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) को बच्चों के लिए बढ़ाकर 6 रूपये, कुपोषित बच्चों के लिए 9 रूपये और गर्भवती एवं धातृ माताओं के लिए 7 रूपये किया गया है। अन्य सामान जैसे दवाई–किट, स्कूल पूर्व शिक्षा किट, रेख–रेख आंगनवाड़ी केन्द्र के किराये, वाहन खरीद, ड्रेस आदि की लागत मानकों में भी बढ़ोतरी की गयी है।
- कुपोषण की समस्या से ग्रसित 200 जिलों हेतु हर आंगनवाड़ी में एक पोषण–काऊंसलर, अतिरिक्त कार्यकर्ता का प्रावधान किया गया है। अन्य जिलों मे लिंक वर्कर नियोजित करने का प्रावधान रखा गया है।
- 5% आंगनवाड़ियों में शिशुघर खोलने का प्रावधान किया गया है
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के बच्चे की वृद्धि और विकास मानकों के आधार पर मां बच्चा सुरक्षा कार्ड दिया जायेगा।
- 10% परियोजनाओं को अन्य सामाजिक संस्थाओं को देना।
- बच्चों में कुपोषण एवं अतिकुपोषण के प्रबन्ध हेतु स्नेह–शिविर आयोजित करना।
- शिशु एवं छोटे बच्चों की फीडिंग के रिवाज/व्यवहार को बढ़ावा देना।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के डॉक्टर द्वारा देखने का प्रावधान।
- राज्य स्तर पर प्रशिक्षण सेल स्थापित करना, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम करना, प्रशिक्षण सामग्री और सुविधाओं को आधुनिक बनाकर आंगनवाड़ी कार्यक्रम के प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार करना।

बदलाव लाने के लिए क्या करें

इन जांच–पड़तालों को करने और समुदाय को शामिल किये जाने के बाद तरह–तरह की गतिविधियों के बारे में सोचा जा सकता है : सहायक गतिविधियों (जैसे स्थानीय आंगनवाड़ी का नवीनीकरण अथवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद) से लेकर "गुणवत्ता के साथ सर्वव्यापीकरण" के लिए जन दबाव बनाये जाने तक। हम क्या कर सकते हैं इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं –

हर बस्ती में आंगनवाड़ी हो –

घर के पास आंगनवाड़ी हर बच्चे का अधिकार है । यदि आंगनवाड़ी नहीं है, तो आपको आगे आने की जरूरत है । सीडीपीओ या जिले के अधिकारियों से संपर्क कर स्थानीय स्तर पर शुरूआत करना अच्छा होगा। विभाग के प्रभारी सचिव, राजनेताओं और दूसरों को अर्जी दी जा सकती है। अगर कोई नतीजा निकल नहीं रहा हो तो आप सर्वोच्च न्यायालय के कमिश्नर या उनके सलाहकारों से संपर्क कर सकते हैं। अब तक का अनुभव है कि कमिश्नरों को बेहतर दस्तावेजीकरण के साथ भेजी गयी अर्जियां अक्सर कारगर साबित हुई है।

सर्वोच्च न्यायालय के 13 दिसम्बर 2006 के आंगनवाड़ी कार्यक्रम आदेश का प्रयोग करना न भूलें। सरकार के पास सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें लागू करना होगा। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश इस विषय पर कार्यवाही हेतु ताकतवर हथियार है।

स्थानीय आंगनवाड़ी की निगरानी

एक सजीव आंगनवाड़ी बच्चे के लिए अचरज भरी जगह हो सकती है। बहरहाल कई आंगनवाड़ियां बुरी हालत में है । इस तरह के मामलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को साथ लेकर ग्राम स्तरीय बैठक आयोजित करना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की तरफ से कोई सहयोग न मिले तो आप सीडीपीओ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बिना टकराव के अपने कामों में अधिक दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

गंभीर अनियमितताओं की स्थिति में (जैसे–भोजन की आपूर्ति में अवरोध हो या डॉक्टर और एएनएम का दौरा अनियिमित हो, या पर्यवेक्षक का उत्पीड़न हमें सीडीपीओ और जिला अधिकारियों से बात करनी चाहिए। इस मामले में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शामिल करना फायदेमंद होगा। एक बार फिर स्थानीय स्तर पर न सुलझ पानेवाली गंभीर समस्याओं के सिलसिले में आप कमिश्नरों या उनके सलाहकारों से संपर्क बना सकते हैं।

बचपन को करो आबाद
आंगनवाड़ी जिन्दाबादद

उपयोगी पते –

(1) सर्वोच्च न्यायालय कमिश्नर का कार्यालय
द्वारा सेंटर फोर इक्विटी स्टडीज
बी–68 दूसरी मंजिल, सर्वोदय इन्कलेव,
नई दिल्ली–110017
टेलीफोन 011–26851335, फैक्स 91–011–41829631
ई मेल sccommisioners@gmail.com www.sccommisioners.org

विशेष बात

कई राज्यों में कमिश्नर के सलाहकार हैं। यदि आप आंगनवाड़ी कार्यक्रम में कोई अनियमितता पाते हैं या स्थानीय अधिकारियों (उदाहरण स्वरूप ग्राम पंचायत या सीडीपीओ), द्वारा समाधान नहीं मिलता है तो कृपया कमिश्नर या अपने राज्य में उनके सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आंगनवाड़ी हेतु आवेदन

सेवा में,
परियोजना अधिकारी,
ब्लॉक .... तारीख ....
जिला .... बस्ती .... पंचायत ....
महोदय/महोदया,

संदर्भ : सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (पीयूसीएल बनाम भारत सरकार व अन्य सिविल पिटिशन सं. 196/200) दिनांक 13 दिसम्बर 2006– ग्रामीण समुदाय और स्लम डेवलपर मांग पर आंगनवाड़ी (तीन माह के अन्दर, मांग की तारीख से) के हकदार है, जहाँ बस्ती में छः वर्ष से कम उम्र के 40 बच्चे हैं पर आंगनवाड़ी नहीं है।

आप सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश का संज्ञान रखते होंगे जिसके तहत जिस बस्ती में आंगनवाड़ी नहीं है और छः वर्ष तक के 40 बच्चें है वहा मांग पर आंगनवाड़ी स्वीकृत की जाएगी। हमारी बस्ती में छः वर्ष से कम उम्र के .... बच्चे हैं (सूची संलग्न हो) और आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं है। हमारी बस्ती की जनसंख्या .... है। सबसे नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र .... कि. मी. दूर और .... जनसंख्या को पोषित करता है।

आंगनवाड़ी केन्द्र के अभाव में बच्चों के विकास/बढ़त की देखरेख नहीं हो रही है। बच्चों को पूरक पोषाहार एवं स्कूल पूर्व शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे स्तर पर गर्भवती और धातृ माताओं और किशोरियों को भी कोई सेवा उपलब्ध नहीं हो रही।

हम निवेदन करते है कि सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुसार हमारी बस्ती हेतु एक आंगनवाड़ी स्वीकृत की जाये और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहयोगिनी की नियुक्ति की जाय।

आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा कार्यक्रम की सभी सेवाएं–जिसमें पूरक पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा और स्कूल–पूर्व शिक्षा समाहित हो–उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

सधन्यवाद
साभार

1. .... 2. .... 3. ....

प्रतिलिपि: ग्राम पंचरायत , जिला परियोजना अधिकारी, जिलाधीश,

टिप्पणी :

- छः वर्ष से नीचे के बच्चों की सूची संलग्न करें जिसमें नाम, उम्र, पिता–माता का नाम हो।
- प्रयास करें कि ग्राम सभा में इस पर चर्चा हो और वो मांग का समर्थन करें/अनुमोदन करें।
- यदि पंचायत समिति का एक सदस्य आवेदन पर हस्ताक्षर करता है तो वह लाभकारी होगा।
- यदि आवेदन के जवाब में तीन माह के अन्दर आंगनवाड़ी कार्यशील नहीं होती है तो आप सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों को सूचित कर सकते हैं।

समेकित बाल विकास कार्यक्रम पर सर्वोच्च न्यायालय के 13 दिसम्बर 2016 के आदेश का सार

किये गये निवेदन के मद्देनजर और रिकॉर्ड पर रखी गयी सामग्री को देखकर हम निम्न निर्देश देते हैं –

1. भारत सरकार न्यूनतम 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र एक चरणबद्ध और समान तरीके से तुरन्त प्रभाव से स्वीकृत और चालू करेगी और दिसम्बर 2008 तक यह पूरा करेगी। यह करते हुए केन्द्र सरकार आंगनवाड़ी केन्द्रो हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों/मोहल्लों को प्राथमिकता पर चिन्हित करेगी ।

2. केन्द्र सरकार सुनिश्चित करेगी कि एक आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने हेतु जनसंख्या के मापदण्ड को किसी भी अवस्था में ऊपर नहीं करेगी। एक आंगनवाड़ी 1000 की जनसंख्या की ऊपरी सीमा को ध्यान में रखते हुए एक नयी आंगनवाडी खोलने हेतु 300 की जनसंख्या की न्यूनतम सीमा को भी ध्यान में रखेगी। आगे ग्रामीण समुदायों और स्लम डेवलपर का छः वर्ष से कम के 40 बच्चों के होने पर और आंगनवाड़ी नहीं होने पर आंगनवाड़ी (तीन माह के अन्दर) का अधिकार होगा।

3. आंगनवाड़ी कार्यक्रम के सार्वजनीकरण का अर्थ है छः वर्ष से कम के हर बच्चे को, सभी गभर्वती एवं धातृ माताओं और किशोरियों को आंगनवाड़ी कार्यक्रम की सभी सेवाएं उपलब्ध हो (पूरक पोषाहार, ग्रोथ मोनिटरिंग, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, रेफरल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा)।

4. सभी राज्य सरकारें एवं यूनियन टेरीटरीज आंगनवाडी कार्यक्रम को पूर्ण रूप से लागू करेगी: (1) कम से कम 2 रू. प्रति बच्चा प्रति दिन पूरक पोषाहार हेतु आवंटित एवं खर्च करके जिसमें केन्द्र सरकार एक रू. प्रति बच्चा प्रति दिन देगी। आवंटन और खर्चा प्रति दिन/प्रति बच्चा होगा। (2) अति कुपोषित के लिए 2.70 रू. का पूरक पोषाहार जिसमें 1.30 रू. केन्द्र सरकार देगी। (3) प्रत्येक गर्भवती व धातु माताओं और किशोरी के पूरक पोषाहर हेतु 2.30 रू. का आवंटन एवं खर्चा प्रतिदिन करेंगे जिसमें से रू. 1.15 केन्द्र सरकार देगी।

5. बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, प. बंगाल, असम, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचित व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होकर सफाई देंगे क्यों आंगनवाडी कार्यक्रम को पूर्ण रूप से लागू किये जाने के इस न्यायालय के आदेश की अनुपालन नहीं हुई।

6. सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया जाता है, वे एस. सी/एस.टी परिवारों की बस्तियों, इन बस्तियों में उपलब्ध आंगनवाड़ी केन्द्रों और इन बस्तियों में कार्यशील आंगनवाडी अगले दो वर्षों के भीतर सुनिश्चित करने की योजना के पूरे विवरणों के साथ हलफनामा जमा करेंगें।

7. सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिये जाते है कि वे इस न्यायाल के अक्टूबर 7, 2004 के आदेशों जिसमें कहा गया था कि 'आंगनवाड़ी' में पोषण की आपूर्ति में ठेकेदारों का उपयोग नहीं लिया जायेगा और गांवों के समूदायों, स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों द्वारा अनाज खरीदने और पोषाहार बनवाने में आंगनवाड़ी कार्यक्रम का पैसा खर्च किया जाएगा की अनुपालना उठाए गए कदमों के विवरण का हलफनामा पेश करेंगे। सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव स्थानीय समुदाय के द्वारा पूरक पोषाहार की विकेन्द्रित आपूर्ति कब तक करेंगे इस हेतु समय सीमा अवश्य इंगित करेंगें।

8. यह एक चिन्तनीय विषय है कि 15 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने 7.10.2004 के आदेश की अनुपालना में हलफनामा जमा नहीं किया है। ये राज्य है– उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोआ, पंजाब मणिपुर, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, मिजोरम, हरियाणा, बिहार एवं केन्द्रीय राजधानी दिल्ली और केन्द्रीय शासित लक्षद्वीप, संबधित मुख्य सचिव के मार्फत जवाब दिया जाये कि इस मूल के लिए क्यों नहीं मानहानी की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये।

छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के लिए आंगनवाड़ी कार्यक्रम (समेकित बाल विकास सेवाएं) का सार्वजनीकीकरण अपेक्षित है । सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवश्यक रूप से भारतीय बच्चों का यह एक कानूनी हक भी है।

जहाँ 6 वर्ष से ऊपर की उम्र के बच्चों का नामांकन
किसी विद्यालय में नहीं कराया जा सका है,
या नामांकन तो हुआ है, किन्तु वह अपनी प्राथमिक शिक्षा निर्धारित
उम्र सीमा में पूरा नहीं कर सकेगा, तो ऐसी परिस्थिति में
उसे उसकी उम्र के हिसाब से उपयुक्त कक्षा में नामांकित
किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जहाँ बच्चों को
उनके उपयुक्त उम्र के हिसाब से सीधे किसी,
कक्षा में भर्ती किया जाता है, तो उन्हें दूसरे बच्चों की तुलना में
एक निर्धारित समय सीमा के भीतर इस रूप में
प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

विकास सहयोग केंद्र
विवेकानंद चौक, पनेरी बांध रोड
शाहपुर, चैनपुर,
जिला पलामू, झारखण्ड
पिन 822110
मो. 06586251120
e mail- vskjh@yahoo.in

Printed By : Suprabhat Udyam, Daltonganj 9431135032

शिक्षा अधिकार कानून 2009

शिक्षा अधिकार कानून 2009

SIKSHA KA ADHIKAAR KAANOON 2009
BY SUNIL MINJ

द्वितीय संस्करण 2016

प्रकाशक

विकास सहयोग केन्द्र
पनेरी बांध रोड, शाहपुर, पलामू झारखण्ड
पिन: 822101
दूरभाष : 06586 251120
email: vskjh@yahoo.in

टाईप सेटिंग
प्रभाकर मिंज, ज्योति लकड़ा
प्रुफ रीडिंग
राकेश रोशन किड़ो, ज्योति लकड़ा

मुद्रण: सुप्रभात उद्यम, डालटनगंज

संपादन: सुनीज मिंज
डिजाइन: दीपक बाड़ा

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

(1) 6 से 14 वर्ष तक की आयू के सभी बच्चों का पडोसी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क एवं प्रथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है ।

(2) उपधारा (ऐ) के प्रायोजनों की पूर्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा ।

ऐसे बच्चे जो विकलांगता से ग्रसित हैं, अधिनियम 1996 की धारा 2 के उपखण्ड (प) के अनुरूप जिन्हें विकलांग के रूप में परिभाषित (समान अवसर, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) किया गया है, उन्हें भी उपरोक्त अधिनियम के भाग अ में प्रावधानों के आलोक में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है ।

जहाँ 6 वर्ष से ऊपर की उम्र के बच्चों का नामांकन किसी विद्यालय में नहीं कराया जा सकता है या नामांकन तो हुआ है, किन्तु वह अपनी प्राथमिक शिक्षा निर्धारित उम्र सीमा में पूरा नहीं कर सकेगा, तो ऐसी परिस्थिति में उसे उसकी उम्र के हिसाब से उपयुक्त कक्षा में नामांकित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त जहाँ बच्चों को उनके उपयुक्त उम्र के हिसाब से सीधे किसी कक्षा में भर्ती किया जाता है, तो उन्हें दूसरे बच्चों की तुलना में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर इस रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त जिन बच्चों का नामांकन उपयुक्त उम्र बीत जाने के पश्चात हुआ है, उन बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरा कर लेने के बाद भी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(1) ऐसे विद्यालयों में जहाँ प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है, उन विद्यालयों के बच्चों का धारा 2 के उपखण्ड (iii) एवं (iv) के अनुभाग (एन) में वर्णित विद्यालयों को छोड़कर पड़ोस के किसी अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित होकर प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेने का अधिकार होगा।

(2) यदि किसी बच्चों को किसी कारणवश एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में चाहे राज्य के भीतर हो अथवा बाहर जाने की आवश्यकता पड़ जाती है तो ऐसे बच्चों को धारा (2) के उपखण्ड (iii) एवं (v) के अनुभाग (एन) में वर्णित विद्यालय को छोड़कर किसी भी विद्यालय में स्थानान्तरित होकर नामांकन कराने का अधिकार होगा।

(3) पूर्व नामांकित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ऐसे अन्य विद्यालय में नामांकन कराने हेतु तत्काल ही स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र बच्चों को निर्गत कर देना होगा।

ऐसे विद्यालयों में यदि किसी कारणवश स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र बच्चे के द्वारा या उनके स्वीकृत अभिभावकों के द्वारा उपस्थापित करने में विलम्ब हो जाता है, तो सम्बन्धित विद्यालय बच्चों का नामांकन करने से इंकार नहीं करेगा अथवा या य उसके नामांकन में विलम्ब करने का कोई आधार नहीं होगा।
साथ ही यदि विद्यालय का प्रधानाध्यापक या प्रभारी बच्चों को स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र निर्गत करने में विलम्ब करता है, तो उसकी सेवा नियमावली के अन्तर्गत उसके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विद्यालय और शिक्षक के कर्त्तव्य

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विद्यालय –

(a) जैसा कि धारा 2 के उपखण्ड (2) के अनुभाग (एन) में विनिर्दिष्ट हैं, सभी बच्चों को निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी।

(b) जैसा कि धारा 2 के उपखण्ड (ii) के अनुभाग (एन) में विनिर्दिष्ट है, विधालय में नामांकित बच्चों को उसी अनुपात में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी, जिस अनुपात में वह वार्षिक आवर्ती वित्तीय अनुदान प्राप्त करता है, तथा जिस अनुपात में वह इन बच्चों के ऊपर वार्षिक आवर्ती राशि खर्च करता है, इसे कम से कम उस राशि का 25% होना चाहिए।

(c) जैसा कि धारा 2 के उपखण्ड (iii) एवं (iv) के अनुभाग (एन) में विनिर्दिष्ट है, पहली कक्षा में उस कक्षा की कुल निर्धारित सीटों की संख्या का 25% भाग उन बच्चों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, जो बच्चे पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह से आते है और इन बच्चों को तब तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी जब तक उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है ।

इसके अतिरिक्त जैसा कि धारा 2 अके अनुभाग (एन) में विनिर्दिष्ट है, जो विद्यालय प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा रहा है, उक्त धारा के उपखण्ड (a) से (c) तक के प्रावधान, ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन हेतु लागू होंगे।

(2) धारा 2 के उपखण्ड (iv) के अनुभाग (एन) में विनिर्दिष्ट विद्यालय और उपधारा (1) के उपखण्ड (c) में विनिर्दिष्ट अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर किए गए खर्च का समायोजन राज्य सरकार द्वारा प्रति बच्चों पर खर्च की जाने वाली राशि के आधार पर होगा या वह वास्तविक राशि जो बच्चों से शुल्क के रूप में वसूली गई थी (इन दोनों में जो भी कम हो) या इस रूप में जैसा कि विनिर्दिष्ट है। तथापि धारा 2 के उपखण्ड (2) के अनुभाग (एन) के प्रावधानों के आलोक में प्रतिपूर्ति की राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी, जो राशि विद्यालय द्वारा प्रति बच्चे पर खर्च की गई है। पुनः उन विद्यालयों के लिए जिन्हें किसी भी रूप में भूमि, भवन, उपकरण एवं अन्य सुविधाएँ या तो विल्कुल मुफ्त में या रियायती दर पर मिला हो, उन विद्यालयों को एक निश्चित संख्या में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी होगी और इसके लिए उसे किसी प्रकार का कोई प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगा।

(3) सभी विद्यालयों के उन सूचनाओं को उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकार को उनकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा।

कोई भी विद्यालय या कोई व्यक्ति बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने हेतु जाँच परीक्षा के नाम पर कोई कॉपिटेशन शुल्क या दान आदि बच्चों से अथवा उनके माता–पिता या अभिभावक से वसूल नहीं करेगा। यदि कोई विद्यालय या व्यक्ति उपखण्ड (1) के प्रावधानों के विपरीत कॉपिटेशन शुल्क की वसूली करता है, तो उसे दण्डित किया जाएगा एवं कॉपिटेशन शुल्क के रूप में वसूली गई राशि का दस गुणा जुर्माना के रूप में चुकाना होगा। यदि चयन प्रक्रिया के नाम पर बच्चों से कॉपिटेशन शुल्क वसूल किया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पहली बार नियम का उल्लंघन करने पर उसे 25000/– का आर्थिक दण्ड देना होगा और उसके बावजूद वह पुनः नियम का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक उल्लंघन के लिए 50000/–तक का आर्थिक दण्ड देना होगा।

14. 1) प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए बच्चों का नामांकन हेतु उनके उम्र का निर्धारण जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम 1880 के प्रावधानों के अनुरूप निर्गत जन्म–प्रमाण पत्र के आधार पर होगा, या ऐसे अन्य दस्तावेज जैसा की विनिर्दिष्ट है ।

2) उम्र प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चें को नामांकन कराने से वंचित नहीं किया जाएगा।

15. विद्यालय में बच्चों का नामांकन शैक्षिक वर्ष आरम्भ होने के साथ ही किया जाएगा या विनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर।

किन्तु साथ ही किसी भी बच्चे को विस्तारित अवधि के बीत जाने के बावजूद नामांकन कराने से वंचित नहीं किया जाएगा।

पुनः यदि किसी बच्चों का नामांकन विस्तारित अवधि के बीच जाने के बाद कराया जाता है, तो उसकी पढ़ाई को पूरा कराने हेतु उपयुक्त सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन होगा।

16. जब तक बच्चों की विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है, तो विद्यालय में नामांकित किसी भी बच्चे को न तो कक्षा में रोका जाएगा और न ही उसे विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

17. (1) विद्यालय में किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(2) यदि कोई उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सेवा नियमावली एवं शर्तो के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

18. (1) कोई भी विद्यालय जो अधिग्रहित या उपयुक्त सरकार के स्थानीय प्राधिकार के नियंत्रणाधीन नही तो उसकी स्थापना उपयुक्त सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं की जा सकेगी ।

(2) प्राधिकार उपधारा (1) प्रावधानों के अन्तर्गत एक खास प्रक्रिया और एक खास विधि से विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र निर्गत करेगी।

पुनः यदि कोई विद्यालय धारा 19 के प्रावधानों के अनुरूप मानकों एवं मानदण्डो को पूरा नहीं करता है, तो उसे मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी।

(3) यदि कोई विद्यालय मान्यता प्राप्ति की शर्तो का उल्लंघन करता है तो सक्षम पदाधिकारी अपने लिखित आदेश के द्वारा प्रदत्त मान्यता को निरस्त या वापस कर लेगा।

उक्त आदेश में यह भी उल्लिखित रहेगा कि जिस विद्यालय की मान्यता को रद्द किया गया है, उस विद्यालय में नामांकित बच्चे या पढ़ रहे बच्चों का नामांकन पड़ोस के किसी विद्यालय में होगा।

पुनः किसी विद्यालय को प्रदत्त मान्यता रद्द करने के पूर्व सम्बन्धित विद्यालय को अपना पक्ष रखने हेतु नियमानुसार पर्याप्त अवसर दिया जाएगा उवं उसे सुना जाएगा।

(4) धारा 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिस तिथि को सम्बन्धित विद्यालय की मान्यता को निरस्त किया जाता है, उसी तिथि से उस विद्यालय का संचालन बंद हो जाएगा।

(5) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मान्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना ही विद्यालय का संचालन कर रहा है, या जिसकी मान्यता समाप्त हो जाने के बावजूद विद्यालय संचालित हो रहा है तो उसके ऊपर प्रतिदिन 10 हजार रूपए की दर से जुर्माना देय होगा।

19. (1) धारा 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी विद्यालय की स्थापना तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों एवं मानदण्डो को पूरा नही कर लेता है ।

(2) जहाँ पर इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व विद्यालय की स्थापना की गई थी और वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों एवं मानदण्डों को पूरा नहीं करता है, तो उन विद्यालयों को इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीन साल के भीतर अपने खर्च पर निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों को पूरा कर लेना होगा।

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के आलोक में यदि कोई विद्यालय निर्धारित समय सीमा के भीतर शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सक्षम पदाधिकारी ऐसे विद्यालयों को प्रदत्त मान्यता को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के आलोक में वापस कर लेगा या निरस्त कर देगा।

(4) उपधारा (3) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के आलोक में जिस तिथि को सम्बन्धित विद्यालय की मान्यता को निरस्त किया जाता है, उसी तिथि से उस विद्यालय को संचालित होने की अनुमति नहीं होगी ।

(5) यदि कोई व्यक्ति विद्यालय की मान्यता समाप्ति के बाद भी विद्यालय का संचालन करते रहता है, तो उसके ऊपर एक लाख रूपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है और इसके बावजूद वह नियमों का उल्लंघन करता रहे, तो प्रतिदिन 10 हजार रूपये की दर से उसे अतिरिक्त जुर्माना देना होगा।

20. केन्द्र सरकार अनुसूची में किसी भी मानकों मानदण्डों में अधिसूचना के माध्यम से कुछ जोड़ या घटाव कर सकती है ।

21. (1) धारा 2 के उपखण्ड (iv) के अनुभाग (एन) में विनिर्दिष्ट विद्यालयों को छोड़कर कोई भी विद्यालय स्थानीय प्राधिकार के निर्वाचित प्रतिनिधि, विद्यालय में नामांकित बच्चों के माता–पिता या अभिभावक एवं शिक्षकों को मिलाकर एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है।

किन्तु इस समिति में कम से कम तीन चौथाई सदस्य पढ़ रहे बच्चों के माता–पिता या अभिभावकों में से ही होंगे। इसके साथ ही कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के माता पिता या अभिभावकों को इस समिति में आनुपातिक प्रतिनिधित्व देना होगा। साथ ही इस समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएँ होंगी।

(2) विद्यालय प्रबन्ध समिति निम्नांकित गतिविधियों का संचालन करेगी ।

(a) विद्यालय के क्रिया कलापों की निगरानी।

(b) विद्यालय के विकास हेतु योजना तैयार करना एवं उसे विकसित करना।

(c) उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकार या अन्य श्रोतों से विद्यालय को प्राप्त धन एवं उसके उपयोग की निगरानी करना।

विद्यालय प्रबंधन समिति

धारा 21 के प्रयोजनों के लिए विद्यालय समिति का गठन एवं उसके कार्य–

1. गैर अनुदानित विद्यालय को छोड़ कर नियत तिथि के 6 माह के भीतर प्रत्येक विद्यालय में एक प्रबंध समिति का गठन किया जायेगा और प्रत्येक 3 वर्ष पर इसका पुनर्गठन होता रहेगा।
2. प्रबंध समिति के कुल सदस्यों में से 75 प्रतिशत सदस्य बच्चों के माता–पिता या अभिभावक होंगे ।
3. शेष 25 प्रतिशत सदस्य निम्नांकित व्यक्तियों में से लिया जायेगा।

   (a) एक तिहाई सदस्य स्थानीय प्राधिकार के निर्वाचित सदस्य होंगे।

   (b) एक तिहाई सदस्य संबंधित विद्यालय के होंगे।

   (c) शेष एक तिहाई सदस्य समिति में शामिल बच्चों के माता–पिता या अभिभावक द्वारा तय किये जायेंगे, जिनमें स्थानीय शिक्षाविद् एवं संबंधित विद्यालय के बच्चे होंगे।
4. अपनी गतिविधियों को संचालित करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति इन सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा। विद्यालय का प्रधान शिक्षक या जिस विद्यालय में प्रधान शिक्षक नहीं है, उस विद्यालय का वरीयतम् शिक्षक पदेन संयोजक होगा।
5. विद्यालय प्रबंधन समिति प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक आयोजित करेगा एवं अपने क्रिया कलापों एवं निर्णयों को एक रजिस्टर में विधिवत दर्ज करेगा एवं अवलोकन हेतु जनता को उपलब्ध करायेगा।
6. प्रबंधन समिति धारा 21 (2) के उपखण्ड (a) से (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अपनी सामान्य गतिविधियों के अतिरिक्त निम्नांकित गतिविधियों को भी संचालित कर सकेगी और इसके लिए वह सदस्यों के छोटे–छोटे समूहों का गठन कर सकती है।

   (a) इस अधिनिमय में बाल अधिकार से संबंधित राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार, विद्यालय, माता–पिता एवं अभिभावकों के कर्त्तव्यों के बारे में सरल एवं रचनात्मक विधि से पड़ोस की आबादी वाले विद्यालयों को जानकारी उपलब्ध कराने की बात की गई है।

   (b) धारा 24 एवं 28 के उपखण्ड (a) और (d) के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

   (c) धारा 27 के आलोक में यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक गैर शैक्षिक कार्यों के बोझ से दबे हुए तो नहीं है।

   (d) पड़ोसी विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों की लगातार उपस्थिति को सुनिश्चित करना।

   (e) अनुसूची के अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुरूप मानकों, मानदण्डों के रखरखाव की निगरानी करना।

   (f) धारा 3(2) के आलोक में स्थानीय अधिकारी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराना कि बाल अधिकार और खास कर मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चों को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, या विद्यालय में उन्हें नामांकन कराने से वंचित किया जा रहा है, एवं उपयुक्त समय पर उसे विद्यालय मे निःशुल्क नामांकन कराने की सुविधा दी जा रही है।

   (g) धारा 4 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु आवश्यकताओं को जानना एवं उसके लिए कार्य योजना तैयार करना आदि और इनके लिए इन सबों की सतत् निगरानी करते रहने की आवश्कता है।

   (h) विकलांग बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना एवं उनके नामांकन हेतु पहचान की प्रक्रिया की निगरानी करना।

   (i) विद्यालयों में मध्याहन भोजन की स्थिति की निगरानी करना।

   (j) विद्यालय के खर्च के लिए एक वार्षिक आय–व्यय का लेखा/बजट तैयार करना।

7. इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति को उपलब्ध कराए गए धन को एक अलग खाते में रखा जाएगा और अंकेक्षण हेतु उसे प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराया जायेगा।
8. उप नियम (6) एवं (7) के उपखण्ड (ब) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में इस खाते का संचालन विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं संयोजक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना चाहिए एवं स्थानीय प्राधिकार को इसे तैयार कर लेने के माह के भीतर उपलब्ध करा देना चाहिए।

धारा 22 के प्रयोजनों के लिए विद्यालय के विकास के लिए योजना तैयार करना

14 (i) इस अधिनियम के तहत् विद्यालय प्रबन्ध समिति वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तीन माह पूर्व ही पहली बार विद्यालय के विकास के लिए एक योजना तैयार करेगी।

(ii) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वर्षीय उपयोजना शामिल होगी।

(iii) विद्यालय विकास योजना में निम्नांकित विवरण शामिल होंगे–

(a) प्रत्येक वर्ष वर्गवार नामांकन का आकलन।

(b) तीन साल की अवधि के लिए कक्षा I से V एवं VI से VIII तक के लिए अलग–अलग प्रधान शिक्षक, विषय शिक्षक, अंशकालीन शिक्षक एवं अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता या आकलन, अनुसूची में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर तय कर लेनी होगी।

(c) तीन साल की अवधि के लिए अनुसूची में निर्धारित मापदण्डों के आलोक में भौतिक रूप में बुनियादी सुविधाओं, उपकरणों आदि का आकलन कर लेना होगा।

(d) उपरोक्त (b) और (c) के परिपेक्ष्य में वर्षवार तीन वर्षों के लिए अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताएँ, जो धारा 4 के अनुरूप बच्चों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक, वर्दी आदि अन्य सुविधाएँ एवं उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक है उसका आकलन कर लेना होगा साथ ही इस अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालयों की वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता का भी आकलन करना होगा।

(e) विद्यालय विकास योजना जो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व ही तैयार कर ली जाती है, उसे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं संयोजक के, द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ताकि उसे स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जा सके।

वनाधिकार
कानून 2006

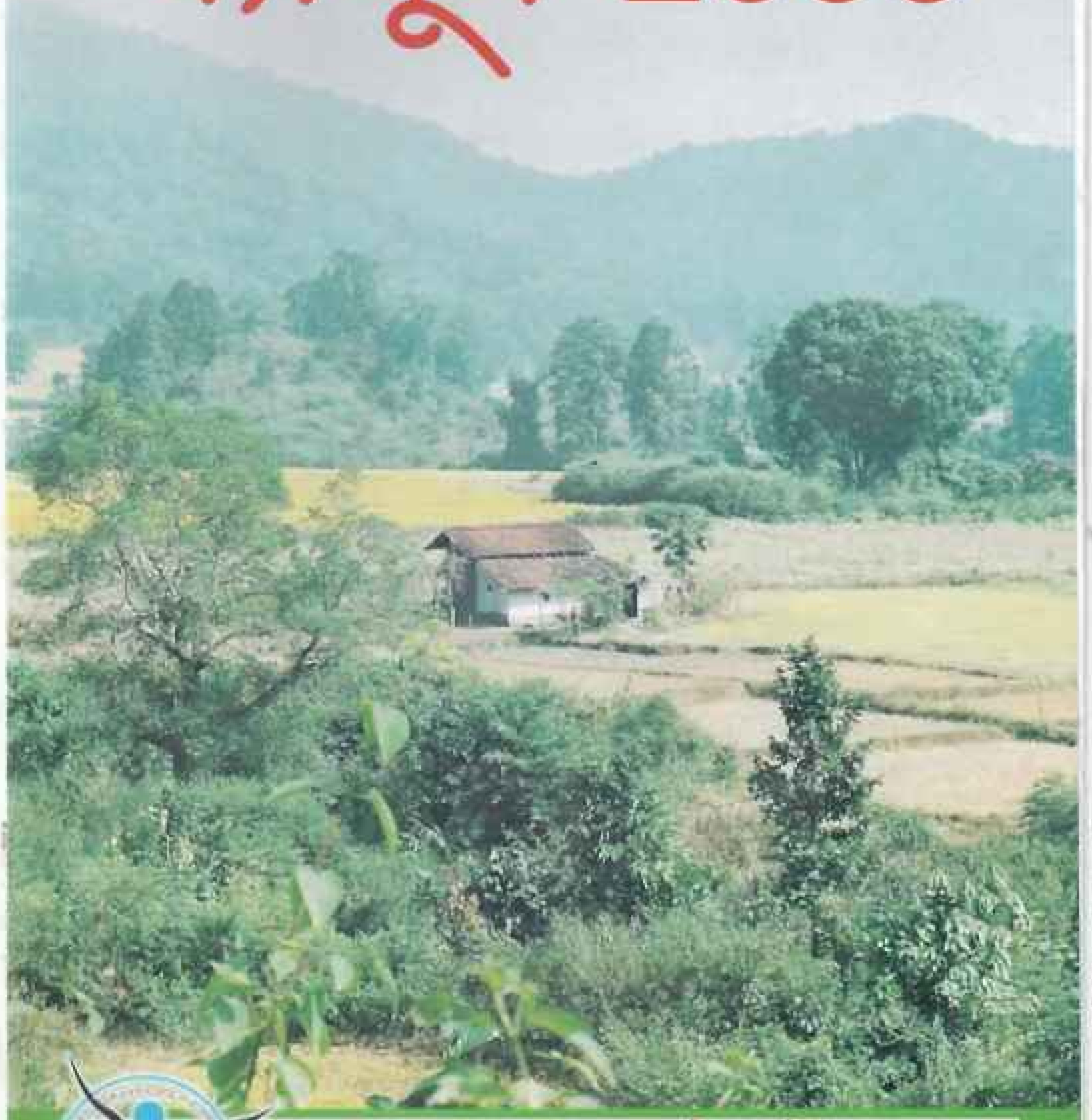

विकास सहयोग केंद्र
पनेरी बांध रोड, शाहपुर, पलामू - 822110, झारखंड
दूरभाष : 06568251120

यह कानून 1 जनवरी 2008 से प्रभावी है। केंद्र सरकार का मानना है कि देश के आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के साथ ऐतिहासिक रूप से हुए अन्याय के पछतावे के रूप में इन समुदायों को वन भूमि पर पट्टे को अधिकार की बात की गयी है। इसे समझाने के लिए हम प्रश्नोत्तरी का इस्तेमाल कर सकते है।

1. **अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता कानून क्या है?**
   यह कानून वन भूमि पर वन अधिकारों को मान्यता देता है। यह कानून उन पर लागू होता है। जो–
   - वन में निवास करने वाली आदिवासी है जहां उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया है।
   - वन्य परंपरागत वन निवासी हैं।

2. **वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन हैं?**
   अनुसूचित जनजाति का अभिप्राय ऐसे समुदाय से है जो मूलतः
   - वनों में निवास करते हों
   - जो अपने आजीविका के लिए वन अथवा वन भूमि पर निर्भरशील हों
   - इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति चरवाहा समुदाय भी आता है।
3. **अन्य परंपरागत निवासी कौन हैं?**
   इसका मतलब ऐसे कोई सदस्य अथवा समुदाय से है जो 13 दिसम्बर 2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों तक
   - वनों में निवास करता आ रहा हो।
   - आजीविका के लिए वन भूमि पर निर्भर हो
   - एक पीढ़ी का मतलब 25 साल से है।
4. **गौण वनोत्पाद क्या है?**
   गौण वनोत्पाद यानी वन में पैदा होने वाली चीजें जिसके तहत गैरइमारती वनोत्पाद भी शामिल है–
   - बांस, झाड झंखाड़, ठूंठ, बेंत
   - मधु, मोम, लाह, तेन्दूपत्ता,
   - जड़ीबूटियां कंद मूल आदि।
5. **सामुदायिक वन संसाधन क्या है?**
   सामुदायिक वन संसाधन निम्नलिखित हैं–
   - गांव के पारंपरिक सीमा के अंदर साधारण वन भूमि
   - इनमें भी समुदायों की परंपरागत पहुंच है–
     क. आरक्षित वन, ख. संरक्षित वन, ग. संरक्षित क्षेत्र (अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान)

6. वन ग्राम क्या है?

इसका आशय ऐसे बस्तियों से है जो–

- वन विभाग के द्वारा वन संबंधी कार्यों के लिए वन के अंदर ही बसायी गयी है।
- इसके अंतर्गत ऐसे गांव और कृषि और दूसरे उपयोग के लिए भूमि भी शामिल है जिसे सरकार द्वारा अनुमति दी गयी है।

7. इस कानून के तहत वन भूमि पर अधिकार का दावा कौन कर सकते हैं?

ये व्यक्ति दावा कर सकते हैं–

- व्यक्ति
- व्यक्ति का समूह
- परिवार
- समुदाय

8. दावा पेश अगर कोई करना चाहे तो इसके लिए क्या-क्या शर्त हैं?

दावा पेश करने हेतु दो शर्त हैं–

- भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से अधिकार होना चाहिए यानी कि उसका उपयोग करते रहना चाहिए।
- यह भूमि 13 दिसंबर 2005 से पूर्व व्यक्ति। व्यक्तियों का समूह, परिवार अथवा समुदाय के कब्जे में हो।

9. वन भूमि पर व्यक्तिगत वनाधिकार क्या है?

दावा पेश करने हेतु दो शर्त हैं–

- वन भूमि कब्जे में हो।

  वन भूमि पर व्यक्तिगत वनाधिकार निम्नलिखित है–

  क. वनभूमि पर व्यक्तिगत कब्जे के अंतर्गत रहने का अधिकार।

  ख. दावा अधिकतम दस एकड़ तक हो सकता है। यह ऊपरी सीमा केवल इस अधिकार के लिए लागू होती है।

- किसी भी राज्य में विवादित वन भूमि में रहने का अधिकार जहां दावा विवादित है।
- वन भूमि में पट्टा। पट्टों आदि को टाइटल में बदलने का अधिकार।
- यथास्थान में वैकल्पिक भूमि सहित पुनर्वास का अधिकार।

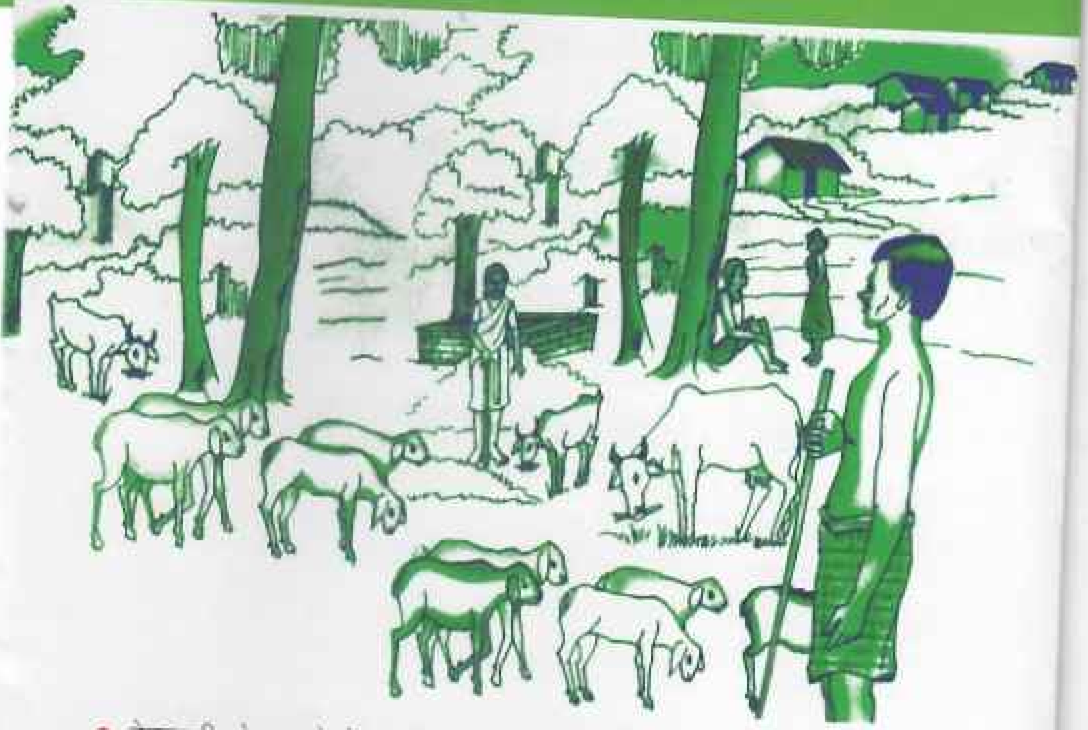

- बेदखली के मामले में 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व अगर वे वन भूमि से किसी भी प्रकार से अवैध रूप से कानूनी अधिकार अथवा पुनर्वास प्राप्त किये बिना बेदखल किये गए हैं।

बेदखली के मामले में

क. राज्य के विकास के उपायों के कारण यदि वे सिद्ध कर सकते हैं कि–

अ. वे अपने घर और खेती से बिना जमीन का मुआवजा प्राप्त किए विस्थापित किए गए।

ब. अधिग्रहण के 5 साल के भीतर भूमि का जिस उद्देश्य के लिए अधिग्रहण कर लिया गया था, जमीन का उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं की गयी।

10. वन भूमि पर सामुदायिक अधिकार क्या है?

वन भूमि पर निम्नलिखित सामुदायिक अधिकार हैं–

- निस्तार के रूप में समुदाय का अधिकार।
- परंपरागत रूप से गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर से एकत्रित किये गये गौण वन उत्पाद पर अधिकार।
- समुदाय के लिए अधिकार–

  क. मत्स्य, जलाशयों और अन्य पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के सामुदायिक अधिकार।

  ख. आदिम जनजाति और कृषि पूर्व समुदाय के निवास सहित समुदाय अधिकार।
- जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार।
- स्थायी योजना के लिए किसी भी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, रक्षा और प्रबंधन का अधिकार।

- कोई ऐसा अन्य पारंपरिक अधिकार जो अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता हो।
- अधिकार जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं–
  - क. किसी राज्य के कानून के तहत
  - ख. किसी भी स्वायत्त जिला परिषद के कानून
  - ग. स्वायत्त प्रादेशिक परिषद
  - घ. किसी भी राज्य के तहत आदिवासियों के अधिकारों के रूप में स्वीकृत।

11. क्या केन्द्र सरकार वन भूमि परिवर्तन करने की अनुमति दे सकती है?

केवल निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वन भूमि का परिवर्तन किया जा सकता है जैसे–

- विद्यालय
- आंगनवाडी
- अस्पताल
- उचित दर की दुकानें
- विद्युत और दूर संचार लाईनें
- टंकियां और अन्य छोटे तालाब
- पेयजल की आपूर्ति और जल पाईप लाईनें
- जल या वर्षा जल रोकने की संरचनाएं
- लघु सिंचाई नहरें
- अपारंपरिक उर्जा स्रोत
- क्षमता विकास या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
- सड़कें
- सामुदायिक केंद्र

12. वन भूमि परिवर्तन की अनुमति कब दी जा सकती है?

यह अनुमति केवल इन शर्तों को पूरा करने पर दी जा सकती है–

- परिवर्तन की जाने वाली वन भूमि प्रत्येक मामले में 2.50 एकड़ से कम हो।
- ग्राम सभा ने ऐसे विकास संबंधी परियोजनाओं की मंजूरी दी है।
- प्रत्येक 2.50 एकड़ भूमि पर 75 से अधिक पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं।

13. वन कोई व्यक्ति वन अधिकार किसी को बेच या हस्तांतरित कर सकता है?

नहीं। यह अधिकार केवल वंशानुगत होंगे

- सीधे वारिस की अनुपस्थिति में वंशानुगत अधिकार अगले निकटतम संबंधी को चला जाएगा।
- यदि किसी घर के मुखिया के नाम में वन अधिकार पंजीकृत होगा।

14. भुखन और करियो देवी पति-पत्नी हैं किसके नाम पर अधिकार पंजीकृत किया जाएगा?

वन अधिकार दोनों के नाम संयुक्त रूप से पंजीकृत होगा।

15. क्या अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन नियासी को वनभूमि से बेदखल किया जा सकता है?

नहीं। वन में निवास करनेवाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों का कोई सदस्य वनभूमि से तबतक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी

नहीं हो जाती है।

16. इस कानून को कौन से प्राधिकार क्रियान्वित करेंगे?

इस कानून को निम्नलिखित प्राधिकार क्रियान्वित करेंगे–

- ग्राम सभा
- वन अधिकार समिति
- अनुमंडल स्तरीय समिति
- जिला स्तरीय समिति
- राज्य स्तरीय निगरानी समिति
- जनजातीय कार्य मंत्रालय (भारत सरकार)

17. वनाधिकार समिति अपने कार्य से ग्राम सभा की सहायता कैसे करेगी?

वह निम्न तरीके से अपने कार्यों के जरिये ग्राम सभा की सहायता करेगी–

- वन अधिकारों पर दावेदारों की सूची तैयार करेगी।
- हर दावा लिखित रूप में स्वीकार करेगी
- ग्राम सभा की ओर से सामुदायिक वन अधिकारों के लिए भी दावा तैयार करेगी।

18. वनाधिकार समिति द्वारा दावे की पुष्टि करने की प्रक्रिया क्या है?

वनाधिकार समिति दावेदार और वन विभाग को सूचित करने के बाद–

- स्थान का दौरा करेगी और शारीरिक रूप से दावा और साक्ष्य की पुष्टि करेगी।
- दावेदारों से सबूत प्राप्त करेगी।
- परिचित स्थलों के संकेत के साथ नक्शा तैयार करेगी जिसमें दावे के क्षेत्र को परिभाषित किया गया है।
- दावे पर अपनी रिपोर्ट रिकार्ड करेगी और दावा ग्राम सभा के विचार के लिए पेश करेगी।

19. राजस्व और वन अधिकारियों की भूमिका क्या हैं?

- वनाधिकार समिति से सूचना प्राप्त करने के बाद वन और राजस्व विभाग के

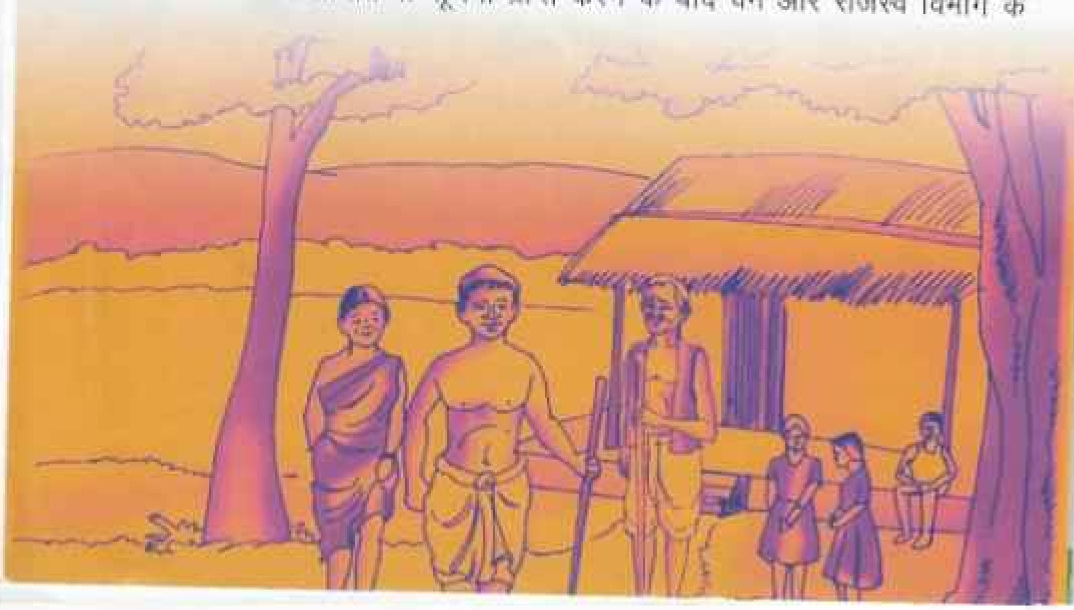

अधिकारी–स्थान पर दावों के सत्यापन और सबूत के दौरान उपस्थित होंगे।

- कार्यवाही पर हस्ताक्षर करेंगे, अपने पद, तारीख और टिप्पणियों के साथ ।
- अगर बाद में वन या राजस्व विभाग के द्वारा ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित दावे पर कोई आपत्ति की जाती है। कारण यह है कि उनके प्रतिनिधि क्षेत्र सत्यापन के दौरान अनुपस्थित थे तो दावा वापस ग्राम सभा को वन अधिकार समिति के द्वारा फिर से सत्यापन कि लिए भेज दिया जाएगा।
- यदि प्रतिनिधि फिर से सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए असफल हो जाता है तो फिर सत्यापन पर ग्राम सभा का निर्णय अंतिम होगा।

20. सामुदायिक वनसंसाधन निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया क्या है?

सामुदायिक वन संसाधन निर्धारित करने के लिए निम्न प्रक्रिया है–

- सामुदायिक वन संसाधन निर्धारित करने की प्रक्रिया शरू करने के लिए एक तारीख तय करेगी।
- तारीख की सूचना निम्न समितियों को दी जाएगी–
  (क) पड़ोस के ग्राम सभा
  (ख) अनुमंडल स्तरीय समिति

21. वनाधिकार समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम सभा क्या करेगी?

वनाधिकार समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम सभा निम्नलिखित कार्य करेगी–

- दावे का एकीकरण और पुष्टि।
- वनाधिकार समिति के निष्कर्षो पर विचार करने के लिए पूर्व सूचना के साथ मिलेगी।
- उचित निर्णय पारित करेगी।
- अनुमंडल स्तरीय समिति को निर्णय भेजेगी।

22. वनाधिकार समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम सभा क्या करेगी?

ये निम्नलिखित सबूत है?

1. दस्तावेज और रिकार्ड्स–

सार्वजनिक दस्तावेज, जनगणना सर्वेक्षण, सेटलमेंट की रिपोर्ट, नक्शे उपग्रह चित्रण,सरकार के रिकार्ड, प्रबंधन योजना, माइक्रो योजना, वन जांच रिपोर्ट, अन्य अभिलेख, वन अधिकार पट्टे, समितियों और आयोगों की रिपोर्ट, सरकार के आदेश अधिसूचनाएं, मतदान पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, घर के कर की प्रारितयां, मूल निवासी प्रमाण पत्र अदालत के आदेश और निर्णय, प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा रिसर्च जैसे भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण के रूप में प्रथागत और परंपराओं का किसी भी वन अधिकारों का किसी भी वन अधिकारों का वर्णन, कोई भी अन्य रिकार्डस जैसे नक्शे, रिकार्ड सहित अधिकार, रियायतें, पिछले रियासतों से प्राप्त सहयोग।

2. भौतिक – घर, झोपड़ियां, भूमि में किया गया सुधार, जैसे बांध, मेढ़ आदि पूर्व से स्थापित संरचनाएं जैसे कुएं काब्रिस्तान, पवित्र स्थान, ससनदिरी, हड़गड़ी, मौखिक – बड़ों का लिखित बयान जो दावेदार नहीं हैं, व्यक्तियों की पारिवारिक पीढ़ी जिनका भूमि रिकार्ड में उल्लेख किया है अथवा जिन्हें लम्बे अरसे से गांव में वैध निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

23. वे कौन से सबूत हैं जो सामुदायिक वन संसाधन का निर्धारण करेंगे?

ये सबूत निम्न हैं–

भौतिक – सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, पारंपरिक चारागाह, वह क्षेत्र जहां से जड़ी–बूटियां, चारा जंगली फल और गौण वनोत्पाद का संग्रहण किया जा सकता है। मछली पालन, सिंचाई प्रणालियां, पानी के स्रोत जो मानव या पशुओं के लिए उपयोगी हो, जड़ी–बूटी चिकित्सकों के लिए औषधीय पौधे संग्रह क्षेत्र, पारंपरिक तौर पर चले आ रहे पुराने संरचनाएं जैसे कुएं, काब्रिस्तान, पवित्र स्थान, नहर, नदी आदि।

24. अनुमंडलस्तरीय समिति में अपील निपटाने के लिए क्या प्रक्रियाएं है?

अनुमंडल स्तरीय समिति में अपील निपटाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं है–

चरण 1. याचिकाकर्ता को 60 दिनों के भीतर अनुमंडल स्तरीय समिति में अपील दायर करनी पड़ेगी।

चरण 2. (क) अनुमंडलस्तीय सुनवाई की तिथि निर्धारित कर लेंगे

(ख) याचिकाकर्ता और संबंधित ग्राम सभा को सुनवाई से 15 दिनों के लिए सूचित किया जाएगा–

(क) लिखित रूप में

(ख) सूचना याचिकाकर्ताओं के गांव में एक सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर प्रकाशित करके।

चरण 3. अनुमंडल स्तरीय समिति अपील को

(क) अनुमति दे सकती है

(ख) अस्वीकार कर सकती है

(ग) पुनर्विचार के लिए संबंधित ग्राम सभा को भेज सकती है।

चरण 4. पुनर्विचार का संदर्भ प्राप्त करने क बाद, ग्राम सभा 30 दिनों के भीतर–

(क) याचिकाकर्ता को सुनेगी

(ख) पुनर्विचार संदर्भ पर निर्णय पारित करेगी

(ग) अनुमंडलस्तरीय समिति को निर्णय भेजेगी।

चरण 5. अनुमंडलस्तरीय समिति ग्राम सभा के निर्णय पर विचार करेगी। यह समिति उचित स्वीकार करेगी या अस्वीकार करेगी।

25. जिला स्तरीय समिति में अपील निपटाने के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं?

जिला स्तरीय समिति में अपील निपटाने कि लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं–

चरण 1 याचिकाकर्त्ता को 60 दिनों के भीतर जिलास्तरीय समिति में अपील दायर करनी पड़ेगी।

चरण 2 (क) जिला स्तरीय समिति सुनवाई की तारीख तय कर देंगे

(ख) याचिकाकर्त्ता और संबंधित अनुमंडलस्तरीय समिति को सुनवाई में 15 दिनों पूर्व सूचित किया जाएगा–

1. लिखित रूप में
2. सूचना याचिकाकर्त्ता के गांव में एक सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर प्रकाशित करके।

चरण 3 जिला स्तरीय समिति अपील को

(क) अनुमति दे सकती है।

(ख) अपील को अस्वीकार कर सकती है।

(ग) पुनर्विचार के लिए अनुमंडल स्तरीय समिति को भेज सकती है।

चरण 4 (क) पुनर्विचार का संदर्भ प्राप्त करने के बाद अनुमंडल स्तरीय समिति याचिकाकर्ता और ग्राम सभा को सुनेगी।

(ख) जिला स्तरीय समिति को अपना निर्णय भेजेगी।

चरण 5 (क) अनुमंडल स्तरीय समिति के निर्णय पर जिला स्तरीय समिति विचार करेगी।

(ख) जिला स्तरीय समिति उचित आदेश पारित करेगी–या तो अपील को स्वीकार कर लेगी या तो उसे अस्वीकार करेगी।

चरण 6. जिला स्तरीय समिति सरकारी रिकार्ड में आवश्यकता सुधार के लिए दावेदारों के वन अधिकार रिकार्ड जिले के आयुक्त या उपायुक्त को भेज देगी।

26. राज्य स्तरीय निगरानी समिति का कार्य क्या है?

राज्य स्तरीय निगरानी समिति के निम्नलिखित कार्य हैं–

1. मापदंड और संकेतक बनाना जिससे वन अधिकार देने के लिए मान्यता की प्रक्रिया की निगरानी हो
2. वनाधिकार देने के लिए मान्यता ओर सत्यापन की प्रक्रिया पर निगरानी।
3. वन अधिकार देने के लिए मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पर 6 मासिक रिपोर्ट देना।
4. सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करना।
5. पुनर्वास योजना पर निगरानी।

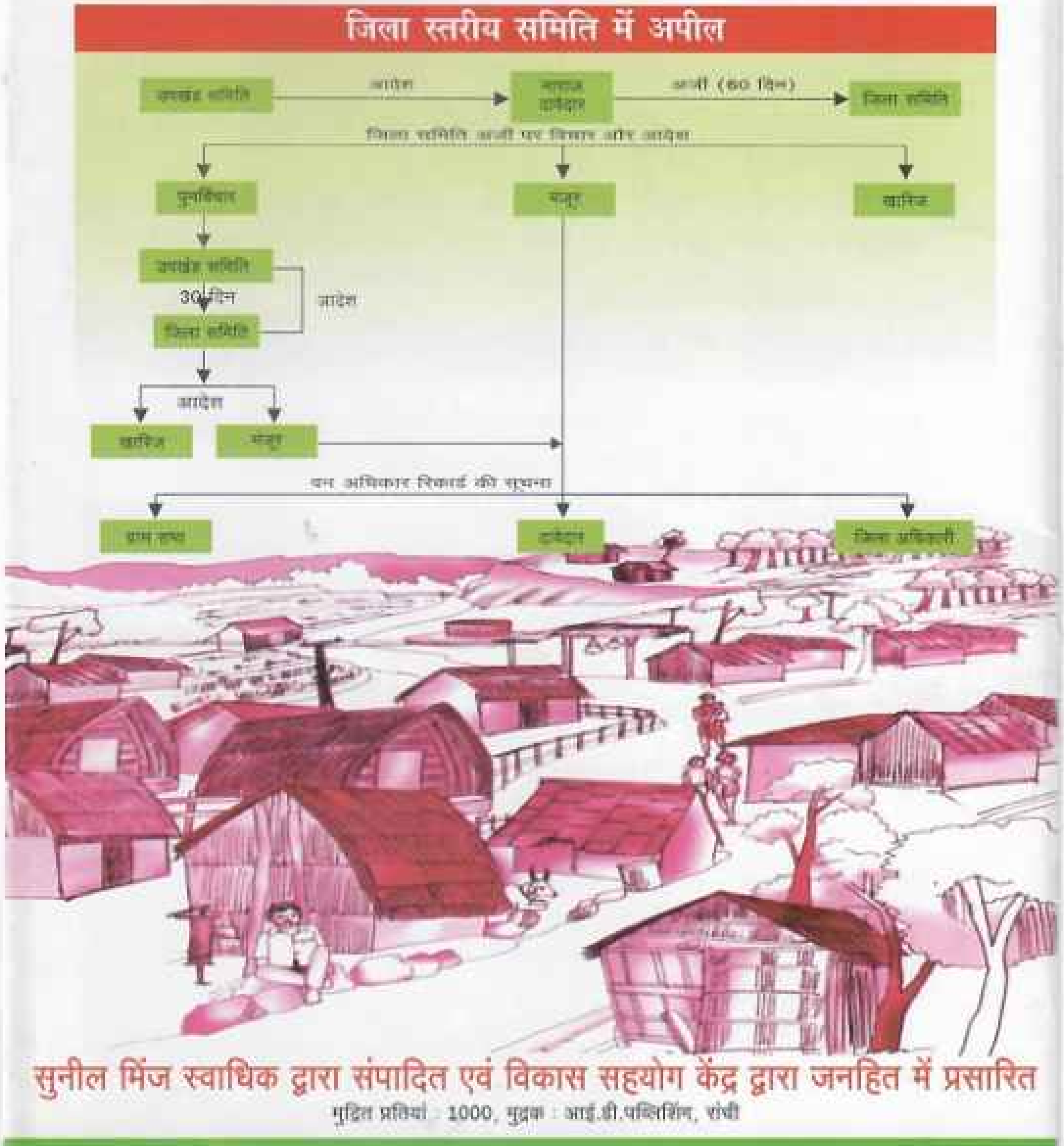

सुनील मिंज स्वाधिक द्वारा संपादित एवं विकास सहयोग केंद्र द्वारा जनहित में प्रसारित
मुद्रित प्रतियां : 1000, मुद्रक : आई.डी.पब्लिशिंग, रांची